घर-घर बाबासाहेब

बीरबल सिंह बरवड़

Scanned by CamScanner

घर-घर बाबासाहेब

(डॉ. अम्बेडकर संक्षिप्त एवं सारगर्भित जीवनी)

जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम
अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकती।

– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल 1891, परिनिर्वाण : 6 दिसम्बर 1956

M.A., M.Sc., D.Sc., Ph.D., L.L.D., D.Litt., Bar.at.Law.

लेखक : बीरबल सिंह बरवड़

सौजन्य से :

इंजी. बी.एल. असवाल मुख्य अभियंता
NHPC, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर, भारत सरकार, जम्मू व कश्मीर
निवास : उदयपुरवाटी, जिला : झुंझुनूं (राज.)
मो.: 9540643872

श्री अनिल पहाड़िया (RRDS)
विकास अधिकारी, पंचायत समिति [illegible], जिला उदयपुर
निवास : अरविन्द [illegible] के पास, [illegible], राजसमंद (राज.)
मो.: 9672219538, 9460367739

अपना मित्र परिषद् खटीक समाज भीलवाड़ा द्वारा आयोजित प्रथम राज्यस्तरीय एवं 8वीं जिलास्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता–2019 के उपलक्ष्य में निःशुल्क वितरण

Scanned by CamScanner

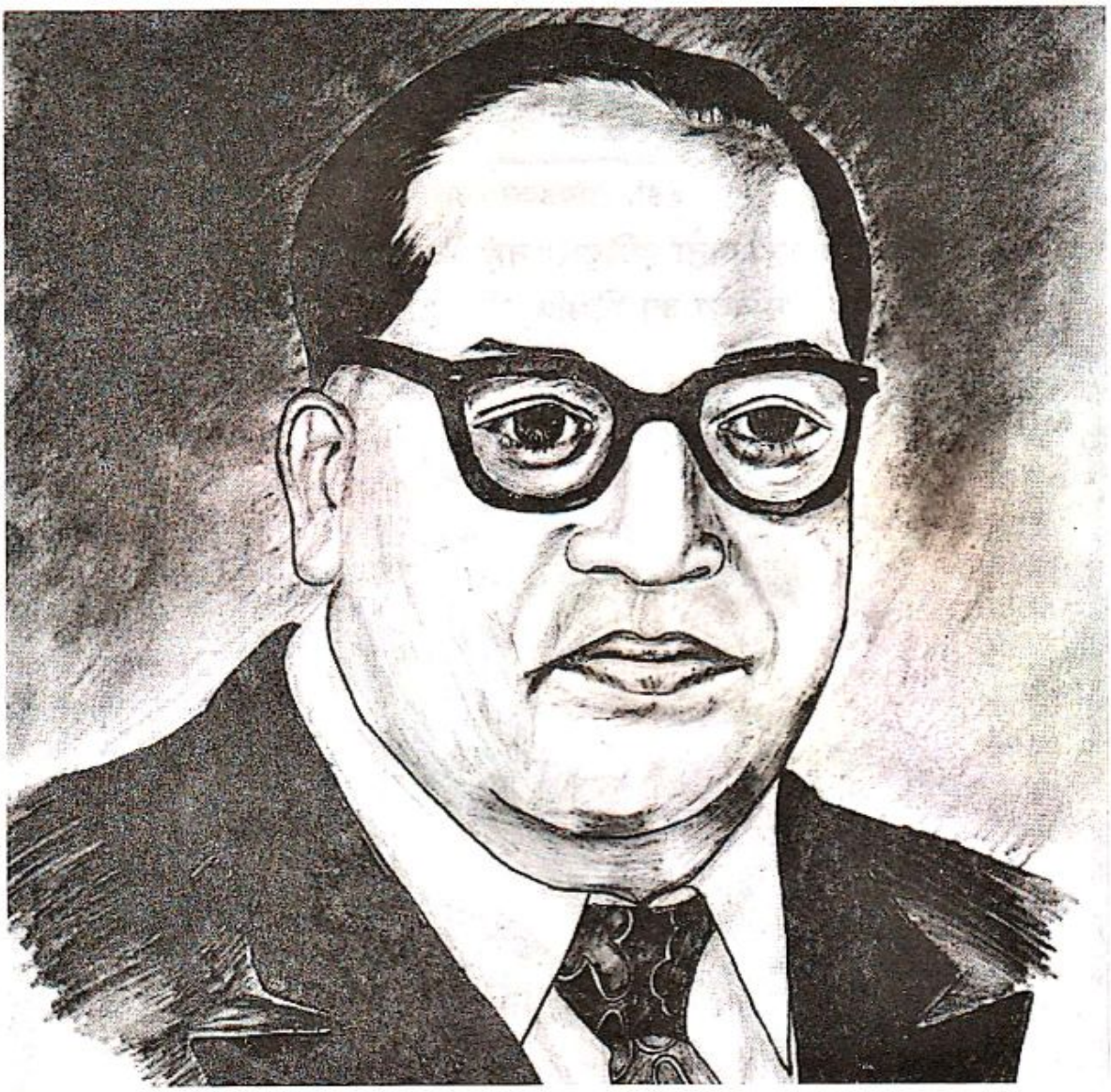

प्रकाशक : **भीम प्रवाह पब्लिकेशन**

रचना : घर-घर बाबासाहेब

प्रथम संस्करण : 14 अप्रैल 2018
द्वितीय संस्करण : 26 जनवरी 2019 (गणतंत्र दिवस)
तृतीय संस्करण : 14 अक्टूबर 2019 (डॉ.अम्बेडकर धम्मदीक्षा दिवस)
लेखक : बीरबल सिंह बरवड़
कार्यालय : डॉ. अम्बेडकर नगर, फतेहपुर रोड़, सीकर (राज.) 332001
मो. : 7891189451, 7891201820
E-Mail : barwar.skr@gmail.com

मुद्रक : विकास प्रिन्टर्स एण्ड फोटोशोप, गोविन्दम् मार्केट, सीकर (राज.)

नोट : किसी भी प्रकार के विचारों का न्यायिक क्षेत्र सीकर (राज.) न्यायालय होगा।
* स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक एवं स्वामी बीरबल सिंह बरवड़ है।

मूल्य 40 ₹

Scanned by CamScanner

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को
एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार–अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और
अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को
एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

Scanned by CamScanner

बाबासाहेब डॉ.आम्बेडकर का जीवन परिचय व जीवन की प्रमुख घटनाएँ

नाम : डॉ.भीमराव अम्बेडकर।

जन्म : 14 अप्रैल 1891, महू छावनी, इंदौर (मध्यप्रदेश)

पिता : सूबेदार मेजर रामजीराव मालोजी सकपाल।

माता : भीमा बाई सकपाल।

पत्नी : रमाबाई अम्बेडकर (विवाह : अप्रैल 1906)

संतान	यसवंतराव (एकमात्र जीवित बचे पुत्र), रमेश गंगाधर, राजरत्न सहित (चार पुत्र) व एक इंदु नामक पुत्री थी। यसवंतराव को छोड़कर सभी बच्चे बिमारी से व इलाज के अभाव में 2-3 वर्ष के अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए।
अप्रैल 1896 :	रामजीराव सकपाल से विवाह के 30 वर्ष बाद माता भीमाबाई का सतारा में देहांत।
नवम्बर 1900 :	सतारा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला।
1904 :	मुम्बई के एलिफिंस्टन हाई स्कूल में चौथी कक्षा में प्रवेश लिया
अप्रैल 1906 :	भीकूबालंगकर की पुत्री रमाबाई से विवाह।
1907 :	मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण। (750 में से 392 अंक प्राप्त किए।)
12 दिसम्बर 1912 :	रमाबाई की कोख से पुत्र यसवंतराव का जन्म।
जनवरी 1913 :	मुम्बई युनिवर्सिटी से अंग्रेजी व फारसी में बी.ए. उत्तीर्ण।
2 फरवरी 1913 :	पिता सूबेदार रामजीराव का मुम्बई में निधन।
जून 1913 :	बड़ौदा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रा.विज्ञान की पढ़ाई हेतु भेजा।
5 जून 1915 :	एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और राजनीति विषयों का अध्ययन।
9 मई 1916 :	डॉ.अम्बेडकर द्वारा 'भारत में जातियां, उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार' नाम से प्रथम शोध-पत्र कोलम्बियां यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रस्तुत किया गया। इस प्रबंध में डॉ.अम्बेडकर ने मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर भारत में मौजूदा जातीय समस्या पर प्रकाश डाला उस समय उनकी आयु मात्र 25 साल थी। इस शोध-पत्र

Scanned by CamScanner

की विश्व के अनेक राष्ट्रों में खूब चर्चा हुई।

1917 : कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी (Ph.D. Doctor of Philosophy) की उपाधि प्राप्त की।

11 नवम्बर 1917 : डॉ.अंबेडकर का बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन लंदन में प्रवेश।

1918 : नागपुर में शोषित वर्गों के सम्मेलन में भाग लिया।

31 जनवरी 1920 : साहूजी महाराज की आर्थिक सहायता से साप्ताहिक पत्रिका 'मूकनायक' का प्रकाशन शुरू किया।

31 जनवरी 1920 : बाबासाहेब ने 'मूकनायक' के प्रथम अंक का संपादकीय 'मनोगत' के नाम से लिखा।

21–22 मार्च 1920 : शाहूजी महाराज की प्रेरणा से बहिष्कृत परिषद का दो दिवसीय अधिवेशन माणगांव, संस्थान कागल(कोल्हापुर) में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में बाबासाहेब ने जन्मसिद्ध श्रेष्ठता एवं पवित्रता के दुष्परिणामों पर अपना क्रांतिकारी भाषण दिया। ये स्पीच 'मूकनायक' के 10 अप्रैल 1920 के अंक में प्रकाशित हुआ।

जून 1920 : सिडनेहम कॉलेज में प्रोफेसर पद छोड़ा।

सितम्बर 1920 : लंदन में फिर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व बेरिस्टर के लिए ग्रेज इन में एडमिशन लिया।

1922 : अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की स्थापना।

अप्रैल 1923 : लंदन से मुम्बई आए। बैरिस्टर अंबेडकर ने परिवार के गुजारे हेतु वकालत शुरू की।

9 मार्च 1924 : दामोदार हाल, मुंबई में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाबासाहेब ने सुझाव दिया कि 'बहिष्कृत परिषद' संगठन को 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' का नाम दिया जाये तथा संस्था का घोष वाक्य 'शिक्षित करो, जागृत करो और संगठित करो' रखा जाए। वे बैठक मे बोले कि अस्पृस्यों की समस्याएं बहुत गंभीर है, उनके आगे समस्याओं का हिमालय खड़ा है।

20 जुलाई 1924 : दलितो के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास हेतु **'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'** की स्थापना।

11 अप्रैल 1925 : मुंबई प्रांतीय बहिष्कृत अधिवेशन को संबोधित किया।

Scanned by CamScanner

	बाबासाहेब ने उपस्थित जनसमुदाय से सामाजिक सुधार हेतु तैयार रहने का आह्वान किया।
23 अक्टूबर 1925 :	साइमन कमीशन के सम्मुख साक्षी एवं ज्ञापन पत्र पेश।
मई 1926 :	सतारा जिला महार परिषद में बाबासाहेब का भाषण हुआ। बाबासाहेब बोले कि मैं अपनी नैत्रहीन जनता का एकमात्र सहारा हूँ। यदि मेरे सहारे से मेरी जनता विकास पथ पर अग्रसर हुई तो धूर्त लोगों द्वारा तैयार किये गये गडढ़ो में वह कदापि नही गिरेगी।
1926 :	डॉ.अंबेडकर मुम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए।
24 फरवरी 1927 :	मुम्बई विधान परिषद में बाबासाहेब का पहला भाषण।
19–20 मार्च :	महाड़ में स्थित चवदार तालाब के पानी का उपयोग अछूतो के लिए करवाने हेतु महाड़ सत्याग्रह कर हजारों अछूतो के साथ तालाब का पानी पीया।
20 मार्च 1927 :	कुलाबा जिला बहिष्कृत, महाड़ के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए बाबासाहेब ने कहा कि जागृति की ज्वाला कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। स्थानीय नेताओं व पेंशनरों को समाज के उद्धार के लिए मार्गदर्शन व जागृति का कार्य करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य हैं।
3 अप्रैल 1927 :	डॉ.अम्बेडकर के संपादन में मराठी **'बहिष्कृत भारत'** का प्रकाशन।
20 मई 1927 :	'बहिष्कृत भारत' में 'अस्पृश्यता नष्ट करने का सच्चा मार्ग' पर संपादकीय प्रकाशित हुआ।
सितम्बर 1927 :	**'समता समाज संघ'** का गठन किया।
सितम्बर 1927 :	महाड़ में दूसरा सम्मेलन बुलाया।
25 दिसम्बर 1927 :	महाड़ सत्याग्रह के दौरान सभा को संबोधित कर कहा कि दूसरे लोगों की तरह अस्पृश्य समाज भी इंसान है। बाबासाहेब ने महाड़ परिषद् में अस्पृश्यों को भी समानता के दर्जे हेतु एक जाहिरनामा (घोषणा-पत्र) जारी कर सामाजिक अन्याय, धार्मिक ग्लानि, राजकीय अवनति तथा आर्थिक गुलामी से मुक्ति का प्रस्ताव रखा।
25 दिसम्बर 1927 :	महाड़ के सम्मेलन स्थल पर रात नौ बजे मानव-मानव में भेदभाव की जनक **'मनुस्मृति'** को जलाया। **'मनुस्मृति'** दहन से धर्म के ठेकेदारों में भारी आक्रोश।

Scanned by CamScanner

27 दिसम्बर 1927 : जिलाधीश/कलेक्टर के निवेदन पर महाड़ सत्याग्रह स्थगित किया गया। इसी दिन महाड़ में बाबासाहेब ने चर्मकार समाज की सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए बाबासाहेब ने कहा कि चर्मकार समाज के लोगों को भी बहुसंख्यक महारों का सत्याग्रह में सहयोग करना चाहिए। जिससे उन्हें भी अपने अधिकार मिल सके। बाबासाहेब ने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं कर पायें तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दोषी मानती रहेगी।

21 दिसम्बर 1928 : 'बहिष्कृत भारत' में 'हिन्दुओं के धर्मशास्त्र' नाम से संपादकीय प्रकाशित हुआ। संपादकीय में लिखा कि जो भी मत रखें जाते है, उनका आधार कौनसे धर्मशास्त्र या समाजशास्त्र है। इसकी जांच परख होना अतिआवश्यक है। उसके बगैर हिन्दु समाज बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, फिर भी अंदर से वह उस खम्भे की भांति है जिसे अंदर से कीड़ो ने खोखला बना दिया है। इसीलिए धर्मशास्त्रों व धर्माचार्यों के अधिकारों का क्षेत्र निश्चित होना अतिआवश्यक है।

18 जनवरी 1929 : 'बहिष्कृत भारत' में नेहरू समिति की योजना तथा हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में संपादकीय प्रकाशित।

14 मार्च 1929 : बाबासाहेब द्वारा विधानसभा में 'महार वतन' बिल पेश।

13 अप्रैल 1929 : डॉ.आंबेडकर की बड़ी बहन तुलसीबाई का देहांत।

13 अक्टूबर 1929 : पार्वती मंदिर, पूना में प्रवेश के लिए सत्याग्रह।

3 मार्च 1930 : कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार हेतु सत्याग्रह।

6 अगस्त 1930 : डॉ.आंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन का निमंत्रण मिला।

8 अगस्त 1930 : अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद् नागपुर में बाबासाहेब का अध्यक्षीय भाषण हुआ।

दिसम्बर 1930 : बाबासाहेब ने साप्ताहिक 'जनता पत्र' जारी किया।

14 अगस्त 1931 : मणिभवन मुम्बई में डॉ.आंबेडकर व गांधी की प्रथम मुलाकात एवं वार्ता।

17 अक्टूबर 1931 : बाबासाहेब की अध्यक्षता में मद्रास में अछूत समाज का विशेष सम्मेलन आयोजित।

1930–31 : लदंन में आयोजित प्रथम गोलमेज परिषद् में भाग लेकर अस्पृश्यों के राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों की पैरवी

Scanned by CamScanner

की तथा भारत की आजादी के साथ-साथ राजव्यवस्था में अछूतों की सुरक्षा व संरक्षण की कौनसी बातें होनी चाहिए, को परिषद् के सम्मुख मजबूती से रखकर कहा कि मेरे द्वारा सुझाये गए प्रस्तावों को परिषद् मान्यता प्रदान करें।

1930–32 : भारतीय अछूतों के लिए गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया।

दिसम्बर 1931 : बाबासाहेब के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर भारतीय मिडिया आगबबूला हुआ। डॉ.अंबेडकर की आलोचना की।

18 फरवरी 1932 : ठाणे जिला बहिष्कृत परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण दिया। भाषण में कहा कि आप ईश्वरवादी व भाग्यवादी मत बनो। यह भाषण 'जनता' समाचार पत्र के 25 फरवरी 1932 के अंक में छपा।

23 जून 1932 : कोल्हापुर में बाबासाहेब ने एक सभा को संबोधित कर कहा कि हम किसी के गुलाम नही रहेंगे। दूसरों की तरह हम भी राजकीय सत्ता हासिल करेंगे तथा अपनी सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित करेंगे। यह मेरा दृढ़ संकल्प हैं।

20 सितम्बर 1932 : कम्युनल अवार्ड में अछूतों को दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा आमरण अनशन की धमकी।

24 सितम्बर 1932 : पूना की यरवदा जेल में गांधी से समझौता। गांधी के प्राणों की रक्षार्थ पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन की मंजूरी पर हस्ताक्षर। इसे **'पूनापैक्ट'** के नाम से जाना जाता हैं।

27 सितम्बर 1932 : गांधी की भूख हड़ताल समाप्त। अंग्रेजी सरकार ने **'पूनापैक्ट'** को मान्यता दी।

7 नवम्बर 1932 : बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर मुंबई से विक्टोरिया नामक जहाज से लंदन में आयोजित होने वाली तीसरी गोलमेज परिषद् में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों के साथ रवाना हुए।

14 नवम्बर 1932 : विक्टोरिया जहाज के पोर्ट सईड पंहुचने पर जहाज से ही बाबासाहेब ने 'जनता' साप्ताहिक पत्र के पाठकों के लिए पत्र लिखा कि मेरे साथ जहाज में गोलमेज परिषद् में शामिल होने जा रहे दस सदस्य शामिल है। सम्मेलन के

Scanned by CamScanner

परिणाम के संबंध में प्रत्येक सदस्य साशंक है। यह पत्र 'जनता' के 10 दिसम्बर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ।

14 नवम्बर 1932 : तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन के लिए निकलने के बाद पोर्ट सईड से बाबासाहेब द्वारा मा.ठक्कर को पत्र लिखा गया। पूना समझौते के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में 'अस्पृश्यता निवारक संघ' की स्थापना का विचार चल रहा था। इस पत्र में बाबासाहेब ने अस्पृश्यता नष्ट करने के मार्गों के बारे में सुझाव प्रेषित किए।

17–24 नवम्बर 1932 : गोलमेज परिषद् की पहली बैठक बाबासाहेब के लंदन पंहुचने से पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी। जिसमें आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। गोलमेज परिषद् के काम की सही शुरूआत 21 नवम्बर से हुई। गोलमेज परिषद् की कार्यवाही में प्रतिनिधियों की गुटबाजी से बाबासाहेब बहुत आहत हुए।

18 नवम्बर 1932 : विक्टोरिया जहाज 18 नवम्बर को सुबह सात बजे जिनेवा पहुँचा। प्रतिनिधियों के साथ बाबासाहेब 8 बजे जहाज से उतरे। जिनेवा से लंदन के लिए जाने वाली ट्रेन 11.40 बजे छूटने वाली थी। इसलिए 2 घंटे बाबासाहेब घोड़ा गाड़ी से जिनेवा शहर में घूमें।

19 नवम्बर 1932 : 18 नवम्बर को 11.40 बजे जिनेवा से रवाना होकर 19 तारीख को पेरिस पहुँचे। बीच में ट्यूरिन में ट्रेन बदली। पेरिस से सुबह 8.30 बजे रवाना होकर 11.00 बजे केले पहुंचे। इसके बाद 2.00 बजे डोव्हर में उतरे। 2 बजकर 15 मिनट पुन: ट्रेन में बैठे यह ट्रेन 4.45 बजे लंदन पहुंची। लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर बाबासाहेब व प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। स्टेशन पर भीड़ अधिक थी। इसलिए वे अकेले ही निकलकर 'रॉयल होटल' पहुंचे जहां उनको रूकना था।

24 नवम्बर 1932 : गोलमेज परिषद के कामकाज की प्रक्रिया के बारे में लंदन से ही पत्र लिखा। यह पत्र 'जनता' के 17 दिसम्बर 1932 के अंक में प्रकाशित हुआ। 'जनता' समाचार-पत्र से जुड़ने के लिए बाबासाहेब हर बार अपने भाषण में बोलते थे, ताकि अछूतो को उनके अधिकारों के लिए लड़ी जा रही लड़ाई की जानकारी मिलती रहे।

Scanned by CamScanner

24 फरवरी 1933 :	बाबासाहेब तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर लंदन से भारत आए।
27 मई 1935 :	डॉ.अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई का निधन।
31 मई 1936 :	मुम्बई में महार परिषद् के सम्मेलन में धर्मांतरण पर (मुक्ति कौन पथे?) ऐतिहासिक भाषण दिया। इस दो दिवसीय जनसभा में लगभग दो लाख लोग मौजूद रहे, उपस्थित लोगों ने बाबासाहेब के ओजस्वी विचारों को गभींरतापूर्वक सुना तथा भविष्य में बौद्धमय भारत के सपने को साकार करने का मानस बनाया।
13 अक्टूबर 1935 :	महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अछूतों के विशाल सम्मेलन में डॉ.अम्बेडकर ने धर्मपरिवर्तन की घोषणा की।
15 जून 1936 :	मुम्बई के देवदासी सम्मेलन को अंबेडकर का पूर्ण समर्थन।
15 अगस्त 1936 :	स्वतंत्र मजदूर दल (Independent Labour Party) का गठन।
फरवरी 1937 :	चुनाव हुए जिसमें लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार जीते। स्वयं बाबासाहेब भी भारी मतो से विजयी हुए। महाराष्ट्र के अछूतो में अपार खुशी का माहौल।
19 जुलाई 1937 :	मुम्बई विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी। नये मंत्रिमण्डल में एक भी दलित को स्थान नही दिया।
1 मार्च 1939 :	डॉ.अंबेडकर द्वारा लिखित **'फ्रिडम वर्सिस फ्रिडम'** प्रकाशित।
अक्टूबर 1939 :	डॉ.अंबेडकर और पं.नेहरू की प्रथम भेंट।
मई 1940 :	डॉ.अंबेडकर ने **'महार पंचायत'**का गठन किया।
22 जूलाई 1940 :	मुम्बई में डॉ.अंबेडकर व सुभाषचन्द्र बोस की मुलाकात।
दिसम्बर 1940 :	बाबासाहेब द्वारा लिखित **'पाकिस्तान या भारत का विभाजन'**नामक पुस्तक का प्रकाशन।
25 मई 1941 :	डॉ.अंबेडकर द्वारा **'महार न्याय पंचायत'**का गठन।
19 जूलाई 1942 :	डॉ.अंबेडकर द्वारा 'शेडयूल कास्ट फेडरेशन' की स्थापना।
9 नवम्बर 1942 :	लेबर मिनिस्टर डॉ.अंबेडकर का **'भारतीय श्रमिक और द्वितीय विश्व युद्ध'** विषय पर आकाशवाणी मुम्बई से प्रथम भाषण।
10 मई 1943 :	इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, मुम्बई द्वारा अंबेडकर का सम्मान।

Scanned by CamScanner

24 अगस्त 1944 :	डॉ.अंबेडकर व रामासामी नायकर पेरियार की भेंट।
जून 1944 :	डॉ.अंबेडकर ने शिमला अधिवेशन में भाग लिया।
जून 1945 :	डॉ.अंबेडकर की चर्चित पुस्तक 'गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया' प्रकाशित।
20 जून 1946 :	मुम्बई के सिद्धार्थ कॉलेज में आर्ट्स एण्ड साईंस की पढ़ाई शुरू की।
1946 :	डॉ.अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के सदस्य मनोनीत।
29 अप्रैल 1947 :	संविधान के अनुच्छेद 17 में 'अछूत' शब्द हटाने के लिए सरदार पटेल द्वारा संविधान सभा में रखा गया प्रस्ताव पारित।
15 अगस्त 1947 :	भारत देश अंग्रेजो की गुलामी से आजाद हुआ। डॉ.अंबेडकर मुम्बई विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए। डॉ.अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने।
29 अगस्त 1947 :	संविधान सभा का गठन।
30 अगस्त 1947 :	डॉ.अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
30 जनवरी 1948 :	दिल्ली के बिरला भवन प्रांगण में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या। सूचना से डॉ.अंबेडकर भी आहत हुए।
31 जनवरी 1948 :	खराब सेहत के बावजूद बाबासाहेब डॉ.अंबेडकर गांधी जी की शवयात्रा में शामिल हुए।
10 मार्च 1948 :	डॉ.अंबेडकर ने पी.लक्ष्मी नरसू की पुस्तक 'बुद्ध धम्म का सार' की भूमिका लिखी। इसी पुस्तक को पढ़कर वे बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित हुए।
15 अप्रैल 1948 :	अपने जन्मदिन के दूसरे दिन डॉ.अंबेडकर ने डॉ.शारदा कबीर से दूसरी शादी की तथा उनका नाम बदलकर डॉ.सविता अंबेडकर रखा।
अक्टूबर 1948 :	बाबासाहेब की पुस्तक 'अछूत कौन और कैसे' प्रकाशित।
जनवरी 1949 :	डॉ.अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में विदेश यात्रा की।
12 जून 1949 :	डॉ. अंबेडकर की गाडगे बाबा से भेंट।
25 नवम्बर 1949 :	बाबासाहेब ने संविधान सभा को संबोधित किया।

Scanned by CamScanner

26 नवम्बर 1949 :	संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। दूसरे दिन स्वास्थ्य जांच के लिए अंबेडकर मुम्बई आ गए।
26 जनवरी 1950 :	संविधान निर्माण में बाबा साहेब को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यदि बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर नहीं होते तो भारत को कभी भी गणतंत्र नसीब नहीं होता। यह एक कड़वी सच्चाई है।
5 फरवरी 1951 :	डॉ.अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में संसद में हिंदू कोडबिल पेश किया।
27 सितम्बर 1951 :	हिन्दू कोडबिल पास नही होने के कारण दु:खी डॉ.अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
10–11 अक्टूबर :	डॉ. अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से स्वयं को अलग किया। 'हिंदू नारी का उत्थान और पतन' पुस्तक का प्रकाशन।
जनवरी 1952 :	डॉ.अंबेडकर प्रथम लोकसभा चुनाव में एस. एस. काजरोलकर से चुनाव हार गए।
मार्च 1952 :	मुम्बई स्टेट की 17 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में डॉ.अंबेडकर विजयी हुए। राज्यसभा अधिवेशन में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।
12 जनवरी 1953 :	डॉ.अंबेडकर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित डिग्री डी.लिट. की उपाधि से सम्मानित किया।
मई 1953 :	मुम्बई में 'सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक्स' की स्थापना।
16 सितम्बर 1954 :	डॉ.अंबेडकर ने अछूतों के बिल पर राज्यसभा में व्याख्यान दिया।
दिसम्बर 1954 :	बाबासाहेब रंगून में आयोजित तृतीय विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए।
4 मई 1955 :	बाबासाहेब ने (बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया) भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की।
दिसम्बर 1955 :	भाषाई राज्यों से जुड़ी 'थॉट्स ऑन लिंगुएस्टिक स्टेट्स' नामक पुस्तक प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

दिसम्बर 1955 : डॉ.अंबेडकर ने पुणे के देहू रोड़ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की।

4 फरवरी 1956 : बाबासाहेब ने 'प्रबुद्ध भारत' पत्रिका प्रकाशित की।

21 फरवरी 1956 : डॉ. अंबेडकर की 'बौद्ध पूजा पाठ' पुस्तक प्रकाशित।

15 मार्च 1956 : डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक 'द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा' की भूमिका लिखी।

18 मार्च 1956 : आगरा में आयोजित जनसभा में बाबासाहेब का ऐतिहासिक भाषण हुआ। बाबासाहेब ने समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की, कि वे अपनी आमदनी का 20वां भाग समाज सेवा हेतु दान करे। वे दु:खी मन से बोले की समाज के पढ़े–लिखें लोगों ने मुझें धोखा दिया है।

11 अक्टूबर 1956 : दिल्ली से नागपुर के लिए रवाना।

14 अक्टूबर 1956 : बाबासाहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म अंगिकार किया तथा 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा व नवबौद्धों से भी इन प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने का आह्वान किया।

16 अक्टूबर 1956 : बाबासाहेब की पुत्रवधू मीराताई आंबेडकर ने पुत्री को जन्म दिया। जिसका नाम इंदू रखा गया।

14–15 नवंबर 1956 : काठमांडू, नेपाल की यात्रा। काठमांडू में बाबासाहेब ने 'बुद्ध और कार्ल मार्क्स' विषय का स्पीच दिया। जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ।

24 नवंबर 1956 : बाबासाहेब डॉ.अंबेडकर की सारनाथ यात्रा।

1 दिसम्बर 1956 : बाबासाहेब मथुरा रोड़ दिल्ली में बुद्ध प्रदर्शनी देखने गये।

2 दिसम्बर 1956 : बाबासाहेब ने दिल्ली के अशोका मिशन बुद्ध विहार में दलाई लामा के सम्मान में आयोजित समारोह में भाग लिया। 3 दिसंबर अल सुबह अपने सहयोगी नानकचंद रत्तु को एक पुस्तक का कुछ भाग टाईप करने के लिए दिया तथा 16 दिसम्बर को मुंबई में आयोजित होने वाले धम्म दीक्षा समारोह के बारे में चर्चा की।

4 दिसम्बर 1956 : राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। एम.एम.जोशी व आचार्य अत्रे को रिपब्लिक पार्टी के बारे में पत्र लिखे।

5 दिसम्बर 1956 : जैन धर्म के प्रतिनिधि मंडल से बाबासाहेब की वार्ता।

Scanned by CamScanner

सेवक सुदामा ने शाम को बाबासाहेब को गुस्से में देखा। क्योंकि पत्नी डॉ.सविता काफी समय से बाजार से घर नहीं लौटी थी।

5 दिसम्बर 1956 : बाबासाहेब के स्टेनो नानकचंद रत्तु के अनुसार सांयकाल के समय शोषित वंचित समाज की चिंता, गंभीर असाध्य बिमारियों व पारिवारिक अशांति के कारण वे काफी उदास थे। रात को हल्का भोजन लेने के बाद लकड़ी के सहारे घर के बाहर टहल रहे थे तथा 'चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा'गुनगुना रहे थे। रत्तु को 'बुद्ध और उनका धम्म 'की भूमिका व प्रीफेस लाने को कहा। वे इस पुस्तक को जल्दी प्रकाशित करवाना चाहते थे।

6 दिसम्बर 1956 : दिल्ली में आवास 26, अलीपुर रोड़ पर बाबासाहेब डॉ.अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ। देशभर में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई। एक विशेष विमान से उनके शव को मुंबई पहुंचाया गया।

7 दिसम्बर 1956 : सुबह तीन बजे बाबासाहेब की प्रार्थिव देह मुंबई के शांताक्रुज एयरपोर्ट पहुंची विशाल लंबी शवयात्रा के बाद दोपहर तीन बजे मुंबई के 'दादर चौपाटी' में बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार किया गया। बाबासाहेब के एकमात्र जीवित पुत्र यसवंतराव ने चिता को अग्नि दी। अंतिम संस्कार स्थल अब 'चैत्य भूमि मुंबई' के नाम से जाना जाता हैं। डॉ.अंबेडकर का आकस्मिक निधन आज भी उनके करोड़ो अनुयायियों के लिए रहस्य बना हुआ है।

भारत रत्न : 14 अप्रैल 1990 को मरणोपरांत बाबासाहेब को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया।

Scanned by CamScanner

डॉ.भीवराव अम्बेडकर का वंश

महाराष्ट्र राज्य की जो अछूत जातियाँ है उनमें महार जाति एक प्रमुख जाति है। इस जाति का प्राचीन इतिहास काल के प्रवाह में लुप्त हो गया विभिन्न पुस्तकों के लेखकों के द्वारा लिखे लेखों से प्राप्त सामान्य जानकारी के अनुसार महार जाति के लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। एक समय ऐसा भी था। जब वे लोग महाराष्ट्र के शासक भी रहे थे। महाराष्ट्र का मतलब 'महारों का राष्ट्र'। इतिहासकारों का मानना है कि महार जाति के नाम पर महार–राष्ट्र या महाराष्ट्र नाम पड़ा। डॉ.अम्बेडकर ने अपनी चर्चित पुस्तक 'अछूत कौन और कैसे' में भी लिखा है, कि महार जाति प्राचीनकाल से नाग जाति की वंशज है। महार जाति के लोग मजबूत कदकाठी, बहादुर व शूरवीर योद्धा थे। इसी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की खेड तहसील में दापोली के पास आम्बावड़े नामक एक छोटा सा गांव है। आम्बावड़े गांव के चारों ओर पहाड़ियां फैली हुई है।

डॉ.अम्बेडकर के दादा मालोजीराव सकपाल वहां के माफीदार महार थे। फिर भी उन्होंने अपने आपको इस माफी के जाल में उलझाए नही रखा। उनके घराने की पूर्व परम्परा से चला आ रहा उनका फौजी पेशा इसका मुख्य कारण रहा। माफीदार महार माफी को अपना मुख्य पेशा मानते थे। लेकिन मालोजीराव के घराने की परम्परा अन्य परिवारों से भिन्न थी। मालोजीराव के घराने की परम्परा फौजी पेशे को अधिक महत्त्व देती थी। मालोजीराव के पूर्वज भी मुगल बादशाही, मराठाशाही व पेशवाई शासनकाल में फौज की नौकरी करते थे। ईस्ट इण्डिया कंपनी ने हथियारों के बल पर भारत में अपने राज्य की स्थापना शुरू की। इस समय भी मालोजीराव के पूर्वज कंपनी में फौज की नौकरी करते थे। मालोजीराव जब जवान हुए तो उन्होंने भी कंपनी में फौज की नौकरी पाई। सरकारी दस्तावेजो में मालोजी का नाम उनके सरनेम के साथ 'मालोजीराव सकपाल' लिखा गया।

मालोजीराव सकपाल को कंपनी की सेना में भर्ती होने के बाद कई युद्धों में लड़ाई लड़कर अपने पराक्रम व शौर्य का परिचय देते हुए अलग–अलग स्थानों पर जाना पड़ा। इसलिए उनका अपने पैतृक गांव आम्बावड़े से विशेष जुड़ाव नहीं रहा। जब उनके पुत्र भी सेना में नौकरी करने लगे तो बाद में उनको पेंशन मिलने लगी। मालोजीराव हवलदार के पद से रिटायर्ड हुए थे। मालोजीराव सकपाल के चार बच्चे

Scanned by CamScanner

हुए। जिनमें तीन पुत्र व एक पुत्री थे। दो पुत्रों के बाद एक बेटी जन्मी। जिसका नाम मीराबाई रखा गया। वह जन्म से ही अपाहिज थी। पुत्री मीराबाई के बाद बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर के पिताजी रामजीराव सकपाल का जन्म हुआ। रामजीराव का जन्म सन् 1848 के आस-पास बताया जाता है। रामजीराव व उनके दोनों भाई भी सेना में नौकरी करने लगे। तीनो भाई अलग-अलग पलटनो में सेवारत थे। इसलिए आपस में उनका अधिक मेल-मिलाप नही रहा। उनका आपसी संबंध पत्र व्यवहार तक ही सीमित था। जब वे एक साथ छुट्टी पर आते थे तो एक जगह रहकर पूना, महू, सतारा, ग्वालियर बड़ौदा आदि छावनियों में अपना पारिवारिक जीवन आनन्दमय ढ़ंग से जीते थे।

भीमाबाई का रामजीराव से विवाह

डॉ. अम्बेडकर के दादा मालोजीराव सकपाल के सबसे छोटे पुत्र रामजीराव थे।

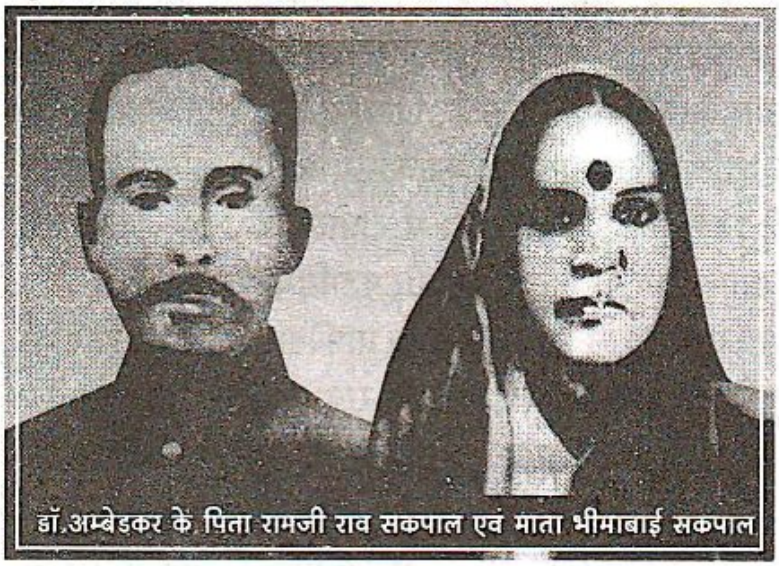
डॉ.अम्बेडकर के पिता रामजी राव सकपाल एवं माता भीमाबाई सकपाल

रामजीराव देखने में बेहद आकर्षक मजबूत कद काठी, रौबदार व प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। रामजीराव 18 साल की उम्र (सन् 1866) में फौज में भर्ती हुए थे। रामजीवराव की पलटन का नाम 106 सपर्स एण्ड मायनर्स था। इस पलटन में सखाराम, लक्ष्मण, धर्मा, जानू, शंकाहारी, राधो और डोंगरे मुरबाडकर और उनके छ: भाई छठी मराठा पलटन में सूबेदार थे। रामजीराव का गठीला व गौरा शरीर, आकर्षक चेहरा तथा बंदूक की निशानेबाजी देखकर मेजर डोंगरे मुरबाडकर बेहद खुश थे। सूबेदार मेजर मुरबाडकर के एक लड़का गणत व दो पुत्री भीमाबाई और बायजाबाई सहित तीन संताने थी। भीमाबाई बचपन से ही तेज तर्रार, वाकपटु व साहसी स्वभाव की थी। सूबेदार मेजर मुरबाडकर ने अपने मन में विचार किया कि भीमाबाई के लिए रामजीराव ही उचित वर होगा। ऐसा विचार आते ही उन्होंने रामजीराव के पिता मालोजीराव सकपाल के सामने अपनी पुत्री के रिश्ते की बात रख दी। मालोजीराव ने भी भीमाबाई को देखते ही रामजीराव के रिश्ते को मंजूरी दे दी। इसके पश्चात रामजीराव व भीमाबाई का विवाह मुरबाड़ (जिला ठाणा) में बड़े ही हर्षोंल्लास व धूमधाम से सम्पन्न हुआ। मुरबाडकर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। घर की सम्पन्नता के कारण सूबेदार

Scanned by CamScanner

मेजर मुरबाडकर की स्थानीय लोगों में विशेष धाक थी। विवाह के समय भीमाबाई की उम्र 13 वर्ष व रामजीराव की 19 वर्ष थी। रामजीराव के पिता मालोजीराव ने सामान्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी तथा रामजीराव ने भी सामान्य स्कूल में ही शिक्षा पाई थी। सेना में भर्ती होने के बाद रामजीराव ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। लगातार स्वाध्याय व अभ्यास के बल पर उन्होंने अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को खूब बढ़ाया और उस समय की सामान्य स्कूल की परीक्षा पास की। उस समय की सामान्य स्कूल की परीक्षा आज की मैट्रिक की परीक्षा के बराबर थी।

मालोजीराव का स्वभाव धार्मिक प्रवृत्ति का था। उनके घर में अक्सर धार्मिक चर्चाए व भजन वाणी होते रहते थे। उनका परिवार कबीर पंथी था। कबीर के जीवन व उनकी शिक्षाओं का उनकी संतानों पर भी विशेष असर देखा जा सकता था। संत कबीर के दोहे व वाणी हिन्दी साहित्य में विशेष स्थान रखते है। कबीर के दोहों व वाणियों में पत्थर पूजा, पाखंडवाद व ब्राह्मणवाद पर करारी चोट की गई है। संत कबीर जात-पात व छूआछूत के घोर विरोधी थे।

मालोजीराव बीच-बीच में कभी कभार आम्बावड़े गांव को आते जाते रहते थे और अपने कुलदेवता भवानी की यात्रा करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने विधिवत रामानंद पंथ की दीक्षा ले ली थी। तब से उन्होंने अपनें कुलदेवता भवानी की यात्रा करने की प्रथा को त्याग दिया था। रामजीराव ने किसी भी पंथ की दीक्षा नही ली थी। वे भी बीच-बीच में परिवार के साथ अपने गांव जाते थे। मालोजीराव के निधन के पश्चात उनके दोनों बेटे कभी गांव नही गए। बड़े भाई के सन्यास लेने के पश्चात उसके परिवार व दूसरे भाई के परिवार का क्या हुआ, इसके बारे में रामजीराव को कुछ पता नही चला। फौज में अपनी पलटन में ईमानदारी के साथ नौकरी, अंग्रेजी भाषा के प्रर्याप्त ज्ञान, खेलों में महारत आदि के कारण रामजीराव अपने बड़े अधिकारियों की नजर में बहुत प्रिय हो गए थे। पलटन में उनको पदोन्नत किया गया। सन् 1896 के दौरान उनको सूबेदार बनाया गया। उस समय तक उनके ससुर व भीमाबाई के पिता डोंगरे मुरबाडकर का निधन हो चुका था।

माता भीमाबाई के चौदहवें रत्न 'भीम 'का जन्म

किसी भी राष्ट्र में पैदा हुए महापुरूषों का जीवन समतल रास्ते की तरह नही रहा है। सभी महापुरूषों को अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष की यातनाओं को झेलते हुए उन्होंने स्वयं का सर्वनाश किया हैं। जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर समाज राष्ट्र तथा मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है वही लोगों के लिए आदरणीय व्यक्ति बन जाता हैं। ऐसे महापुरूष अपने महान कार्यों के कारण जनमानस के लिए आदरणीय के साथ महान मार्गदर्शक भी बन जाते है। ऐसे

Scanned by CamScanner

महापुरूषों के सत्कर्म कभी नही मरते है। राष्ट्र व मानव हितार्थ उनके द्वारा किए गये कार्यों के कारण आने वाली पीढ़ियां उन्हें युगों-युगों तक याद करती हैं तथा ये ही छवि उनको युगपुरूष बनाती है। उनकी जयंती व निर्वाण दिवस पर लाखों करोड़ो लोग उनका स्मरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते है। आज हम यहां भी एक ऐसे ही महापुरूष के बारे में वर्णन करने जा रहे है। जिनकी राष्ट्र सेवाएं व भारत देश के प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए किए गए कार्यों के कारण उनकी प्रत्येक भारतीय की दृष्टि में महामानव, युगपुरूष, बाबासाहेब, राष्ट्रनिर्माता, भारतरत्न, संविधान निर्माता, हमारे मुक्तिदाता व मार्गदर्शक की छवि बनी हुई है। जिन्हें हम भारत रत्न बाबासाहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते है।

मध्यप्रदेश राज्य के शहर इंदौर के समीपस्थ महू छावनी की एक छोटी-सी बैरक में सूबेदार मेजर रामजीराव मालोजी सकपाल के घर माता भीमाबाई की कोख से 14वीं संतान के रूप में 14 अप्रैल 1891 को एक बालक का जन्म हुआ। माता-पिता ने इस बालक का नाम 'भीम' रखा। माता भीमाबाई भीम को प्यार से 'भीवा' भी पुकारती थी। ये ही बालक 'भीम' आगे चलकर स्वतंत्र भारत देश का संविधान निर्माता बना। बाबा साहेब डॉ.आंबेडकर स्वयं को अपने माता-पिता का चोदहवां रत्न कहते थे। 'भीमराव' के जन्म के समय उनके पिताजी रामजीराव सकपाल 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' में सूबेदार मेजर के पद पर तैनात थे। माता भीमाबाई ने चौदह पुत्र-पुत्रियों को जन्म दिया। इन 14 संतानो में से सभी जीवित नही बच सके। सात बालक-बालिकाए तो अल्प समय में ही मौत को प्राप्त हुए। शेष चार पुत्रियां थी। इनके नाम थे- गंगा, रमा, मंजुला और तुलसी। इन सभी बहनों का विवाह सैन्य अधिकारियों के साथ हुआ था। भीमराव के अलावा भीमाबाई की कोख से जन्मे दो पुत्र और जीवित रहे थे। उनके नाम बालाराम एवं आनन्दराव थे। सूबेदार रामजीराव ने अपने पुत्र बालाराम को सेना में भर्ती करवा दिया था तथा आनन्दराव को रेलवे में नौकरी दिलवा दी थी। इन्हीं की आय से डॉ.अंबेडकर की शिक्षा-दीक्षा में सहायता मिलती थी। बाबासाहेब जब लंदन, अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए गए तो उनकी पत्नी रमाबाई व उनके बच्चों की देखभाल भाई आनंदराव ने ही की थी । आनंदराव को एक पुत्र जन्मा था। जिसका नाम उन्होनें मुकुन्दराव रखा। आनंद राव व उनके पुत्र मुकुदराव ने भी अपने जीवनकाल में समाज सेवार्थ विभिन्न कार्य किए।

भीमराव के प्रति उनके पिताजी रामजीराव को काफी अपेक्षाएं थी। इस देश में जब कोई भी बालक जन्म लेता है तो किसी को कुछ पता नही होता है कि ये आगे चलकर क्या बनेगा ? जैसे तथागत बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में उन्हें पूरे विश्व में तथागत बुद्ध व बौद्ध धम्म के संस्थापक के रूप में जाना गया। जन्म के पश्चात बड़ा

Scanned by CamScanner

होकर जब वो बालक कोई महापुरूष बन जाता है तो लोग अलग-अलग कयास लगाने लगते है। उनके बारे में विभिन्न दंत कथाएं व कहानियां गढ़ ली जाती है। भीमराव के बारे में भी अनेक दंत कथाएं, पुराण कथाओं की तरह प्रचारित की गई। भीमराव जैसे-जैसे बड़ा होता गया उनके माता-पिता की खुशियां बढ़ती गई। भीमराव बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, चंचल, शौम्य व अन्य बच्चों से अलग हटकर थे। किसी भी बात के बारे में बार-बार गहराई से जानने व पूछने की जिज्ञासा भीमराव को अपने साथी बच्चों से विशेष अलग पहचान दिलाती थी। सन् 1891 के दशक के समय भारत में सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक क्रांति के बीज जड़ पकड़ने का समय था। उस दौरान भारत में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आजादी के लिए कई विचारधाराएं पैदा हुई तथा इसी काल में कई क्रांतिकारियों का भी जन्म भारत में हुआ। इस काल में भारत में अछूतो की मुक्ति के लिए आंदोलन का झंडा बुलंद किया गया। ऐसे समय में भीमराव का जन्म किसी विशेष क्रांतिकारी चरित्र के आगमन का भावी उज्ज्वल सूचक था। (संदर्भ ग्रंथ : डॉ.अम्बेडकर जीवन और चिंतन-1, ले.चांगदेव भवानराव खेरमोड़े)

भीमराव को शर्तों पर स्कूल में दाखिला

सन् 1894 में सूबेदार रामजीराव व उनका पूरा परिवार सतारा में शिफ्ट हो गया। सन् 1900 में भीम ने सतारा के हाईस्कूल में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया। अछूत 'महार' जाति में जन्म होने के कारण बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर को बचपन में जातिवादी भेदभाव, छूआछूत व तिरस्कार का शिकार होना पड़ा। स्कूल में भी उनको शर्तो पर दाखिला मिला। शर्तों के तहत उनको कहा गया कि (1) बिछाने के लिए भीमराव अपने घर से टाट पट्टी लायेगा, जबकि दूसरे बच्चों को स्कूल से टाट-पट्टी मिलती थी। (2) भीमराव दूसरे उच्ची जाति के बच्चों से 10 फीट की दूरी पर एक कौने में बैठेगा। (3) भीमराव ब्लैक बोर्ड को नहीं छूएगा। (4) स्कूल में रखे मटके से स्वयं पानी नहीं पियेगा। चपरासी या कोई सवर्ण बालक ही उनको पानी पिलायेगा। (5) भीमराव स्कूली बच्चों के साथ नहीं खेल सकेगा आदि। बाबासाहेब को पढ़ाई में बहुत मुश्किलें आई। बाबासाहेब को कक्ष के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। उनकी तरफ शिक्षक तिरस्कार से देखते, चपरासी भी उनसे दूर रहते। शाला में जब पानी पीने की इच्छा होती तब कोई लड़का या चपरासी पानी ऊंचे से गिराकर पिलाता तभी पानी पी सकते अन्यथा पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता। इससे बालक भीमराव के मन में प्रश्न उठा कि, एक मानव के साथ दूसरा मानव ऐसा बर्ताव कैसे करता है? पर इसका जवाब उनको मिलता नहीं। पीड़ा, अपमान के बावजूद पढ़ाई की ऐसी धुन कि दूसरे दिन की सुबह होते ही अपना आसन और बस्ता लेकर जल्दी शाला पहुंच जाते। शाला जैसा भेदभाव समाज में भी था। इस जाति के बालक सार्वजनिक प्याऊ से पानी नहीं पी

Scanned by CamScanner

सकते थे। एक बार खेलते-खेलते भीम को प्यास लगी। पास ही प्याऊ थी। पानी पिलाने वाली बाई वहाँ मौजूद नहीं थी। भीम खुद से लेके पानी पीने लगे। तभी पानी पिलाने वाली बाई आ गई और चिल्लाने लगी। पास ही सो रहे ग्वाले जागे और उन्होनें भीम को छड़ी से फटकारा। भीम वहां से जैसे-तैसे भागे और अपनी जान बचाई।

एक दिन मुंबई की एल्फिंस्टन हाईस्कूल में नारायणराव जोशी नाम के गणित के शिक्षक ने कक्षा में ज्यामिती का एक सवाल समझाया। फिर विद्यार्थियों को प्रमेय सिद्ध करने को कहा, लेकिन कोई विद्यार्थी प्रमेय सिद्ध नहीं कर सका। भीम ने प्रमेय सिद्ध करने की तैयारी बताई। शिक्षक ने उन्हे ब्लैकबोर्ड पर प्रमेय सिद्ध करने को कहा। जैसे ही भीम ब्लैकबोर्ड के पास जाने लगे उतने में विद्यार्थियों ने भारी शोरशराबा किया। पूरी कक्षा चीख पड़ी **'अरे भीम को रोको'**! कारण था, ब्लैकबोर्ड के पीछे उनके नाश्ते के डिब्बे पड़े थे। भीम ब्लैकबोर्ड के पास जाते तो वे अछूत हो जाते। बालकों ने नाश्ते के डिब्बे ले लिए उसके बाद ही भीम ब्लैकबोर्ड के पास जा सके और प्रमेय सिद्ध कर सके। भीमराव भी अपनी धुन के पक्के थे। पग-पग पर अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी।

भीमराव की शिक्षा

विपरित परिस्थितियों के बावजूद भी भीमराव ने 1907 में हाई स्कूल अर्थात मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय महार जाति में जन्में किसी युवा द्वारा मैट्रिक परीक्षा पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अत: इससे खुश होकर उनकी जाति के लोगों ने भीमराव के सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में मौजूद लोगों व वक्ताओं ने उनके ज्ञान प्राप्त करने की तमन्ना और मेहनत की जमकर तारीफ की। सत्यशोधक आंदोलन के नेता के.ए. केलुस्कर ने उन्हें इनाम स्वरूप तथागत गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट की। इस अवसर से उनमें अध्ययन की प्रेरणा विकसित हुई। इंटर आर्ट्स के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तथा आगे की पढ़ाई के लिए धन की कमी आड़े आने लगी। इसलिए कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर ने बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ से उनकी भेंट कराई तथा भीमराव की शिक्षा के प्रति लगन व प्रतिभा से अवगत कराया। सयाजीराव द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से भीमराव ने 1912-13 में एलिफिस्टन कॉलेज से बी.ए. की परीक्षा पास की।

बी.ए. पास करने के बाद भीमराव ने कुछ दिनों तक बड़ौदा रियासत में सैनिक की नौकरी की। सैनिक नौकरी जॉइन करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें तार मिला कि उनके पिता रामजीराव बीमार है, इसलिए भीमराव वापस घर के लिए रवाना हुए। घर पहुँचने के कुछ घंटों पश्चात ही 2 फरवरी 1913 को रामजीराव का निधन हो गया। M.A. के लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति व शाहूजी महाराज के

Scanned by CamScanner

सहयोग से उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया युनिवर्सिटी में प्रवेश लिया तथा 1915 में एम.ए. किया। भारत की तुलना में अमेरिका में अलग ही वातावरण मिला। अमेरिका में भेदभाव विहिन, समानता के वातावरण में उनकी अध्ययन रूचि को बल मिला। उच्च शिक्षा स्वरूप उन्होंने विदेश में M.A. M.Sc. , PH.d, D.Sc., D.Litt.. LLD, BAR.AT. Law व डॉक्ट्रेट की कई मानद उपाधियों सहित कुल 32 डिग्रियां अर्जित की।

विदेशो में उच्च शिक्षा प्राप्त कर बाबासाहेब भारत वापस आए। इतनी ऊंची डिग्रियां मिलने के बावजूद यहां योग्य स्थान नहीं मिला। 1923 में पारसी मित्र नवल भाटिया की मदद से वकालत शुरू की। वहां भी उन्हें अस्पृश्यता तो आड़े आई ही, कोई मुवक्किल उनके पास फटकता न था। कोर्ट में बैठने के लिए उन्हें कुर्सी नहीं मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके हाथ में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच का केस मिला और उन्होंने इस केस में मुवक्किलों को जिताया। दूसरा एक केस फांसी हो चुकी मुवक्किल का था। उस केस में जीतना कठिन था, इसके बावजूद विद्धतापूर्ण दलील करके उस केस में भी विजयी बने। फिर तो उन्होंने प्रखर और कुशल वकील की तरह नाम कमाया। ऐसी ही समयावधि में उन्हें सिडनहाम कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए और मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन के सभासद के लिए दरखास्ते मिली। यह दरखास्ते समाज सेवा में आड़े आए ऐसा होने से स्वीकार नहीं की।

डॉ. अंबेडकर अछूतोद्धार के ध्येय को हासिल करने के जज्बे को आगे बढ़ाने में कटिबद्ध थे। 1924 में **'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'** नाम की संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वें अछूतों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति हो, उसी तरह उनको राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए संघर्ष करते रहे। दलितों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो इसके लिए सम्मेलन, अधिवेशन आयोजित कर भाषणों द्वारा प्रेरणा देते, लेखन कार्य द्वारा भी जागृति के लिये प्रयत्न करते रहे थे। इस दरम्यान दलित ज्ञान प्राप्त कर सके इस हेतु रात्रिशाला, पुस्तकालय और छात्रालय शुरू किये। दलितोन्नति को अपनी सामाजिक उन्नति मानकर अस्पृश्य समाज के कार्य को देशकार्य मान उन्होंने अस्पृश्यों की पशु से भी बदतर स्थिति में बदलाव लाने के लिए संघर्ष शुरू किया।

बाबासाहेब की संकल्प भूमि बड़ौदा

बड़ौदा शहर के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में सयाजी बाग में 'संकल्प भूमि' स्थित है। यह स्थान सयाजी बाग में वट वृक्ष के रूप में आज भी मौजूद है। दिनांक 18 जुलाई 2016 को बड़ौदा नगर निगम के द्वारा बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के वट वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लेने वाले स्थान को

Scanned by CamScanner

विधिवत राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। बड़ौदा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर वर्तमान में फतेहगंज नाम का एक मौहल्ला है, जहां पर पारसी अधिक संख्या में निवास करते हैं। इसी मौहल्ले में पारसी लोगों की एक धर्मशाला हुआ करती थी, जहां पर बाबासाहेब किरायेदार के रूप में अपना नाम बदलकर एदल सोरबजी नाम से 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रहे थे। नाम बदलने की युक्ति धर्मशाला के एक नौकर ने अधिक पैसे लेकर बताई थी। बड़ौदा महाराजा सयाजीराव गायकवाड का बाबासाहेब को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कराने का बहुत बड़ा ऋण डॉ. अम्बेडकर अनुयायियों पर है। बाबासाहेब महाराजा के ऋण से उऋण होने के लिए 'सेना लेफ्टीनेन्ट' और विदेश में शिक्षा अर्जित करने के बाद **'सैनिक सचिव'** के पद पर नियुक्त हुए। रियासत में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के छुआछूत की वजह से मजबूरीवश उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देकर बम्बई आना पड़ा। जब भीमराव ने एल्फिस्टन कॉलेज, बम्बई से इंटर की परीक्षा पास की, तब उनके पिताजी के पास भीमराव को देने के लिए बी.ए. की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। भीमराव की पढ़ाई को जारी रखने के लिए गुरुजी कैलुस्कर आर्थिक सहायता के लिए उन्हें शिक्षा प्रेमी महाराजा सयाजीराव गायकवाड के पास ले गए। बड़ौदा के राजा ने संस्थान की तरफ से 25 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मंजूर कर दी। सन 1913 में भीमराव ने बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बड़ौदा में नौकरी करने का निश्चय किया। रियासत में छुआछूत के वातावरण का माहौल होने की वजह से उनके पिता रामजीराव ने उन्हें मना किया। बाबासाहेब ने सयाजीराव गायकवाड द्वारा शिक्षा में आर्थिक सहायता के ऋण से उऋण होने का निश्चय किया। सयाजीराव गायकवाड ने भीमराव को बड़ौदा राज्य का सेना लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया। मात्र 15 दिन नौकरी करने के उपरांत पिता (रामजीराव) के बीमार पड़ने की सूचना पाकर बम्बई के लिए रवाना हो गए। 2 फरवरी, 1913 को रामजीराव का देहांत हो गया। भीमराव पिता के बिछोह से फूट-फूट कर रोने लगे।

महाराज सयाजीराव गायकवाड की विदेशी उच्च शिक्षा की योजना के अंतर्गत भीमराव ने भी अन्य तीन विद्यार्थियों के साथ अमेरिका से उच्च शिक्षा के लिए

Scanned by CamScanner

आवेदन किया। भीमराव को 11.5 पौंड प्रति माह छात्रवृत्ति तीन साल के लिए 4 जून, 1913 को 10 वर्ष की नौकरी रियासत में करने का इकरार-नामा के साथ मंजूर की गई। इस प्रकार 15 जून, 1913 से 14 जून, 1916 तक की समय सीमा निर्धारित की गई। बाद में छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए अर्थात 14 जून, 1917 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने विदेश में कुल चार साल का समय शिक्षा अर्जित करने में लगाया। 21 जुलाई, 1913 को भीमराव न्यूयार्क अमेरिका पहुंचे। 23 जुलाई 1913 को उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एम.ए. में दाखिला लिया। अमेरिका और लंदन (इंग्लैंड) में चार साल तक उच्च शिक्षा (एम.ए., पीएच.डी.) की डिग्री प्राप्त की। छात्रवृत्ति समाप्त होने पर लंदन से एम.एस.सी. और डी.एस.सी. की अधूरी शिक्षा को बीच में छोड़कर पुन: विश्वविद्यालय से अधूरी शिक्षा को चार साल में पूरी करने की स्वीकृति प्राप्त कर 21 अगस्त, 1917 को भीमराव लंदन से बम्बई पहुंचे। डॉ. भीमराव अंबेडकर अपने आने की सूचना महाराजा सयाजीराव गायकवाड को भेजकर बड़ौदा के लिए रवाना हुए। महाराजा का आदेश था कि एक सेवक (कर्मचारी) उन्हें लेने स्टेशन पहुंचेगा। डॉ. अंबेडकर रेलगाड़ी से नियत समय पर पहुंचे। वे घंटों वहां पर उनको लेने वाले का इंतजार करते हुए रात होने पर स्टेशन से बाहर आए। अपने ठहरने के लिए वे तीन होटलों में गए, मगर जाति से महार होने के कारण किसी भी होटल वाले ने उन्हें ठहरने नहीं दिया। अंत में निराश होकर डॉ. अंबेडकर ने किसी तरह बाहर ही रात गुजारी। सुबह होने पर डॉ. अंबेडकर रियासत पहुंचकर महाराजा से मिले, महाराजा ने उनका स्वागत किया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा ने उन्हें राज्य का **'सेना सचिव'** बनाया। डॉ. अंबेडकर कार्यालय में वित्तीय व्यवस्था भी संभालने लगे। वे प्रत्येक विभाग में आर्थिक अव्यवस्था से परिचित होने लगे। बड़ौदा सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने आप पर लगते अंकुश को देख भीमराव के खिलाफ जातीयता का माहौल पैदा करना शुरू कर दिया। डॉ. अंबेडकर की जाति महार होने की खबर सचिवालय के कर्मचारियों को भी मिल गई, जिसकी वजह से पूरे बड़ौदा शहर में उनको अपमानित करने का माहौल तैयार किया गया। चपरासी भी उन्हें फाइलें हाथ में देने की बजाए दूर से फेंककर ही देता था। वह कहता था कि महार का हुक्म नहीं मानेंगे। डॉ. अंबेडकर तंग आकर महाराजा से मिले और अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार से अवगत कराया। इस पर अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए महाराजा ने कहा, 'हमने सबको कहा तो है, पर सवर्ण हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने महाराजा से अपने निवास की व्यवस्था के लिए भी निवेदन किया। महाराजा ने कहा, इस पर विचार किया जाएगा। जब भीमराव को संपूर्ण बड़ौदा शहर में रहने के लिए किसी भी होटल और हॉस्टल में जगह नहीं मिली, तब अंत में वे मजबूर होकर अपने आपको एक बनावटी पारसी 'एदल सोराबजी' नाम से एक पारसी धर्मशाला में 2 रुपये प्रतिदिन के किराए से रहने लगे। डॉ. अंबेडकर की युक्ति कुछ भी

Scanned by CamScanner

दिन न चल सकीं? किसी प्रकार पारसियों को मालूम हुआ कि धर्मशाला में एक अस्पृश्य (महार) रहने लगा है, जिससे उनकी धर्मशाला अपवित्र हो रही है। डॉ. अंबेडकर को धर्मशाला में रहते हुए 11वां दिन था, 23 सितंबर, 1917 के दिन 15-20 क्रोधित पारसियों ने लाठी लेकर धर्मशाला को घेर लिया। भीमराव के साथ भीषण अभद्र व्यवहार करके धर्मशाला को आठ घंटे के अंदर खाली करके चले जाने को कहा। इन लोगों ने डॉ. अम्बेडकर का सामान भी निकालकर फेंक दिया। इस प्रकार भीषण सामाजिक विषमताओं, अस्पृश्यता, ऊंच-नीच के भेदभाव के कारण अपमानित व निराश होकर भीमराव ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर, बड़ौदा छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी से त्यागपत्र देने पर बंबई के लिए रेलगाड़ी लगभग 4-5 घंटे देरी से आने के कारण डॉ. अंबेडकर ने यह समय दिनांक 23 सितंबर, 1917 को एक सुरक्षित जगह एवं एकांत जैसा स्थान सयाजी बाग (कमेटी बाग) बड़ौदा के एक वट-वृक्ष के नीचे बिताया। भूख-प्यास से व्याकुल होकर वे वहां पर फफक-फफककर रोते हुए चिंतन-मनन करने लगे कि मेरे जैसा उच्च शिक्षा प्राप्त एवं विद्वान इस देश में इतना अपमानित है, तो मेरे समाज के गरीब लोगों की क्या हालत होगी? तभी डॉ. अंबेडकर ने यह संकल्प किया कि, ''मैं ऐसी व्यवस्था को बदल डालूंगा, जिसके कारण देश भर में अछूत वर्ग गुलाम है, मैं शोषित समाज जो सदियों से सताया जा रहा है, के उत्थान एवं मुक्ति के लिए जीवन भर कार्य करूंगा तथा सामाजिक विषमताओं को मिटाने के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा।'' बड़ौदा के शिक्षा विभाग ने सिडेनम कॉलेज बंबई के प्रिंसिपल से और बम्बई सरकार के शिक्षा विभाग से डॉ. अम्बेडकर की शिकायत की। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड को अधिकारियों की इस करतूत का पता चला, तो उन्होंने शिक्षा विभाग को कुछ भी ना करने से मना कर दिया। इस **'संकल्प भूमि'** का प्रचार-प्रसार 'संकल्प भूमि ट्रस्ट' बड़ौदा यहां पर साल में अनेक कार्यक्रम आयोजित करके कर रही है। इस स्थान के नौजवानों द्वारा दर्शन करने से उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी और उन्हें बाबासाहेब के दुख-दर्दों का आभास होगा। जब उस भूमि पर जो भी जाता है, उसके अंदर से बाबासाहेब के दुख-दर्द की घटना को याद करके इस देश में असमानता व गुलामी के प्रति उनके शरीर में खून का संचार तेज हो जाता है। दर्शनार्थियों को यहां आने पर बाबासाहेब के कारवां को आगे बढ़ाने की भावना जाग्रत होती है। (साभार- भीम प्रवाह स्मारिका, अप्रैल- 2015)

भीमराव का विवाह

भीमराव अम्बेडकर की 17वर्ष की उम्र में 9वर्ष की उम्र वाली रमाबाई से शादी कर दी गई। रमाबाई के पिता भिक्कू बालंगकर दापोली में कुली की नौकरी करते थे। रमाबाई पढ़ी-लिखी नहीं थी फिर भी उन्होंने जीवन पर्यन्त बाबासाहेब का कठिन परिस्थितियों में साथ दिया। रमाबाई की कोख से यशवंतराव, रमेश, गंगाधर, राजरत्न

Scanned by CamScanner

व पुत्री इंदू सहित पांच बच्चों का जन्म हुआ। यशवंतराव को छोड़कर सभी बच्चे बीमारी से ईलाज के अभाव में कम समय के अंतराल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। खराब आर्थिक स्थिति में अभावों की जिंदगी जी कर, उपले बेचकर भीमराव को डॉ.भीमराव अम्बेडकर बनाने वाली रमाबाई ही थी। बाबासाहेब रमाबाई को प्यार से रामू, रामो व रमाई बुलाते थे। बाबासाहेब अम्बेडकर उच्च अध्ययन के पश्चात अमेरिका से वापस लौटे उस समय भी अपने परिवार की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। वे केवल अध्ययन में ही तल्लीन रहते थे। ये उनके जीवन की आदत सी बन गई थी। जिससे उनके ध्यान में बाधा ना पड़े। बाबासाहेब पुस्तकों के बहुत प्रेमी थे। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ मिले या ना मिले लेकिन पढ़ने लिए किताबें जरूर चाहिए थी। एक बार बाबासाहेब 500 रूपये की किताबें खरीद कर लाए, रमाबाई को पुस्तकें दिखाई और एक पुस्तक पढ़ने में लग गए। उधर रमाबाई ने खाना परोसा और खाने के लिए कहा उस समय पुस्तक के 2-3 पृष्ठ बाकी बचे थे। बाबासाहेब उन्हें पढ़कर ही भोजन करना चाहते थे। इधर रमाबाई को तमाम घरेलू चिंताएं थी। रमाबाई ने बाबासाहेब से कहा आप 500 रूपये की पुस्तकें खरीद लाए घर में सब्जी, तेल, नमक आदि का भी तो ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की तरफ भी देखो इससे बाबासाहेब के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन ऑफिस से आते समय बाबासाहेब खूब सारी सब्जी खरीद लाए। रमाबाई को सब्जी देखकर प्रसन्नता तो हुई। लेकिन 2 दिन बाद में बहुत सी सब्जी सड़ जाएगी यह सोचकर वह दु:खी भी हुई, क्योंकि बाबासाहेब को क्या पता था कि घर में कितनी सब्जी लगती है। उनका मिशन तो अपने करोड़ो दलित भाइयों के उद्धार के लिए काम करने का था। रमाबाई कर्मठता की मूर्ति थी वह अपने पति के सभी कार्यों में यथायोग्य साथ देती थी।

गरीबी किसी को भी न सताए, धनाभाव के कारण भोजन ही भरपेट नहीं मिलता हो, तब दवा के लिए पैसे कहां से आते हैं, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यशवंतराव के अलावा बाबासाहेब के सभी बच्चे अकाल ही काल कलवित हो गए। हर समय

Scanned by CamScanner

बाबासाहेब की चिंता करने वाली रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। वे इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा बाबासाहेब इन दिनों मुंबई से बाहर थे, रमाबाई के छोटे भाई शंकरराव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबासाहेब तुरंत मुंबई आए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई ने बाबासाहेब को नजदीक पाकर हल्की राहत महसूस की। उन्होंने बाबासाहेब को कहा कि देखो साहेब, मेरे सात करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी भी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान और स्वाभिमान दिलाना। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद भी बाबासाहेब रमाबाई को बचा नहीं पाए और 27 मई 1935 को रमाबाई का निधन हो गया। समाज के सुख के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाली रमाबाई सभी को रोता बिलखता छोड़ अलविदा कह गई।

बाबासाहेब की सफलता में माता रमाबाई अम्बेडकर के त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा योगदान माना जाता हैं। नि:संदेह रमाबाई कि साधना का मार्ग कठिन था लेकिन बाबासाहेब को विश्व का महान व्यक्ति बनाने का संपूर्ण श्रेय उन्हीं को जाता है। बाबासाहेब ने अपनी पुस्तक ''थॉट्स ऑन पाकिस्तान'' अपनी पत्नी रमाबाई को समर्पित की है। इस समर्पण में उन्होंने लिखा है कि मैं यह पुस्तक रामो को उसके मन की सात्विकता, सद्भावना, सदाचार, मानसिक पवित्रता, अभाव व परेशानियों के दिनों में भी मेरे साथ दु:ख झेलने, जबकि उस समय हमारा कोई सहायक नहीं था, अतीव सहनशीलता तथा सहमति दिखाने के लिए प्रशंसापूर्वक समर्पित करता हूँ।

बाबासाहेब नाम की सम्माननीय उपाधि

डॉ.भीमराव अंबेडकर के नाम से पहले बाबासाहेब नाम की सम्माननीय उपाधि किस प्रकार जुड़ी इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। बात उन दिनों की है, जब लंबी बीमारी के बाद 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन हो गया। इससे अम्बेडकर को गहरा सदमा लगा इस आघात से वे अंदर तक टूट गए थे। रमाबाई डॉ.अंबेडकर जिसे वे प्यार से रमाई बुलाते थे। अंतिम संस्कार के पश्चात रमाई के गम को भुलाने के लिए उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वह लगातार आंसू बहाते रहे। जब दिनभर द्वार नहीं खुला, रात को भी कमरे का द्वार बंद ही रहा तो परिवार वालों को यह चिंता सताने लगी कि अंबेडकर साहब ऐसे क्या कर रहे हैं। रिश्तेदारों और परिवारजनों ने 2 दिन तक खूब दरवाजा खटखटाया बार-बार उन्हें पुकारा और सैकड़ो बार विनती की, कि दरवाजा खोल दो, लेकिन उनके सारे प्रयास बेकार गए। तब उनके निकट के कार्यकर्त्ता सहयोगी मित्रों को बुलाया गया उनके काफी समझाने बुझाने व आग्रह पर अंबेडकर ने दरवाजा खोला तो वे ये देखकर

Scanned by CamScanner

आश्चर्यचकित रह गये की अम्बेडकर पर वैराग्य सवार हो गया है। डॉ.अम्बेडकर बातचीत करने के बजाय अंतर्मुखी हो गए हैं।

डॉ.अम्बेडकर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। रमाबाई के देहांत से उनको काफी पीड़ाजनक स्थिति से गुजरना पड़ रहा था। उनके सिर में बेहद तेज दर्द रहने लगा। बहुत इलाज किए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। आखिरकार डॉ. आंबेडकर कैवल्यधाम संस्थान लोनावाला में अपना उपचार कराने के लिए आ गए। कैवल्यधाम संस्थान में उन्होंने अपने सिर के बाल भी मुंडवा लिए और चोगा पहने अपने प्रशंसकों के सामने उपस्थित हुए तो यह दृश्य देखकर उनके प्रशंसकों के मुख से अनायास ही अंबेडकर के लिए **'बाबासाहेब'** शब्द निकल पड़ा। तभी से उन्हें बाबासाहेब कहां जाने लगा। इससे पूर्व उन्हें भीमराव जी, डॉ. अंबेडकर, आंबेडकर अथवा डॉ. साहब कहकर संबोधित किया जाता था।

जाति के विनाश के पक्षधर बाबासाहेब

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने 9 मई 1916 को भारत में जातियां- उनकी उत्पत्ति विकास एवं विस्तार नामक एक शोध-पत्र कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में आयोजित डॉ. ए.ए. गोल्डन वेजर के नर विज्ञान के सेमीनार के मौके पर प्रस्तुत किया था। इस शोध-पत्र में बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर ने मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर भारत में मौजूदा जातीय समस्या पर प्रकाश डाला। उस समय उनकी आयु मात्र 25 साल थी। 25 साल के एक युवा द्वारा भारत देश की सबसे बड़ी समस्या जातिप्रथा के बारे में प्रस्तुत शोध-पत्र को सुन-पढ़कर अमेरिका के लोग भी हैरान रह गए। उन्हें नस्ल अथवा रंग भेद के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन वर्ण अथवा जाति के बारे में पहली बार सुना था कि भारत देश में ऐसी भी एक व्यवस्था है, जो मानव-मानव में जाति के आधार पर छूआछूत करती है। इस शोध-पत्र की विश्व के अनेक राष्ट्रों में खूब चर्चा हुई। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष मात्र 25 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ हो जाता है।

जिस प्रकार एक ईसाई धर्मावलम्बी के लिए बाइबल, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के लिए कुरान, सिक्ख के लिए गुरूग्रंथ साहिब को जानना जरूरी है उसी प्रकार बाबासाहेब के अनुयायियों को बाबासाहेब द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना व जानना जरूरी है। भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था की समस्या का सम्पूर्ण सार बाबा साहेब द्वारा लिखित Annihilation of Caste जाति का विनाश (2) भारत में जातियां- उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार (3) अछूत कौन और कैसे? (4) शुद्रों की खोज को पढ़ना जरूरी है। भारत में जातियां, उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार पुस्तक में बाबा साहेब ने लिखा है कि हिन्दू समाज मूलत: चार वर्णों में बंटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय,

Scanned by CamScanner

वैश्य और शूद्र।

मुकनायक समाचार-पत्र के प्रथम संपादकीय में बाबासाहेब ने लिखा है कि हिन्दू धर्म एक चार मंजिल वाला ऐसा महल है जिसमें सीढ़ियां नहीं है, ऊपर की मंजिल (ब्राह्मण वर्ग) में पैदा होने वाला व्यक्ति कितना भी अयोग्य या नालायक क्यों ना हो उसे नीचे की मंजिल (शूद्र) में भेजने की कोई सीढ़ी (व्यवस्था) नहीं है। इसी प्रकार नीचे की मंजिल में अर्थात शूद्र वर्ग में कोई कितना भी योग्य व लायक व्यक्ति क्यों ना हो, उसे ऊपर की मंजिल में भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाबा साहेब ने कहा कि हिन्दुओं में सामाजिक संघ की कोई भावना नहीं है, किसी भी जाति को कोई अहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से उसका कोई सम्बन्ध है। बस केवल हिन्दू-मुस्लिम दंगों के समय तो हिन्दू धर्म की जातियां एक हो जाती है। बाकी समय में हर जाति अपने आपको दूसरी जाति से अलग रखने और अपनी पहचान अलग बनाये रखने की पूरी कोशिश करती है। यह जातियां न केवल अपनी जाति में खान-पान और शादी-विवाह का संबंध रखती है बल्कि बहुत सी जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा व रहन-सहन भी अलग कर रखा है, ताकि वे दूसरों से अलग दिखें।

भारत में जातिप्रथा की स्थापना की प्रक्रिया मूल रूप से अनुकरण के नियम का नतीजा है। जहाँ निम्न स्तर के लोग अथवा समुदाय श्रेष्ठ स्तर के लोगों का अथवा समुदायों का अनुकरण करते हैं। जाति का एक की संख्या में कोई अस्तित्व नहीं है। जाति केवल एक नहीं हो सकती। उसका अस्तित्व अनेक संख्याओं में ही है। जाति नाम की कोई चीज नहीं है। भारत में हमेशा जातियाँ ही रही है।

जाति का विनाश डॉ. अम्बेडकर का सर्वाधिक चर्चित ऐतिहासिक भाषण है जो उनके द्वारा लाहौर के जातपांत तोड़क मण्डल (आर्य समाज) सम्मेलन 1936 के लिए अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा गया था, पर भाषण में हिन्दू समाज की जाति व वर्णव्यवस्था पर लिखे गए विचारों से सम्मेलन के आयोजक सहमत नहीं थे। वे भाषण के कुछ अंश हटा देना चाहते थे। लेकिन इस हेतु डॉ. अम्बेडकर सहमत नहीं थे। यह भाषण आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था का प्रश्न आज भी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। जातिप्रथा क्या है और इसका विनाश कर एक स्वच्छ व बेहतर समाज का निर्माण कैसे हो? इसका मुकम्मल जवाब बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपने इस लिखित 'स्पीच' (Annihilation of Caste) में दिया है। दुर्भाग्यवश उनका यह स्पीच होने से पूर्व ही उक्त सम्मेलन रद्द कर दिया गया था।

बाबासाहेब Annihilation of Caste में हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्था को सबसे बड़ी वाहियात व्यवस्था मानते है। डॉ. अम्बेडकर पहले भारतीय समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारत में जातियों की संरचना, जाति का उद्भव और विकास का वैज्ञानिक

Scanned by CamScanner

अध्ययन किया था। इस विषय पर उन्होंने पहला शोध प्रबंध 1916 में लिखा था। जो 'Caste in India' (भारत में जातियां) के नाम से चर्चित है। उन्होंने अकाट्य प्रमाणों से यह साबित किया है कि बाल-विवाह, स्त्री को पति की मौत के बाद आजीवन विधवा रखना, जिन्दा जलाकर मारने की सतीप्रथा का चलन एक स्वतंत्र वर्ग को बंद वर्ग में बदलने के तंत्र थे। इस तंत्र ने जाति व्यवस्था का विकास किया। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। इसलिए भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो देश से जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। डॉ. अम्बेडकर के बारे में अब गंभीरता से सोचने का मतलब है कि अब हमें अपने समाज की संरचना पर भी पूर्ण विचार करना चाहिए। हमें जाति व्यवस्था पर भी विचार करके खुद से पूछना चाहिए कि आज का भारत क्या वह करने के लिए तैयार है, जो डॉ. अम्बेडकर ने 1936 में करने को कहा था। उनका कहना था कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपको इस व्यवस्था को तोड़ना है तो इसके लिए जाति प्रथा की शिक्षा देने वाले **'धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए।'** इसे सम्मेलन रद्द होने के बाद बाबासाहेब के द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया था।

इसमें वर्ण-जाति और हिन्दू धर्म के बारे में डॉ. अम्बेडकर और गाँधीजी के बीच की तर्कसंगत तीखी बहस से युक्त लेख, जो कि बाबासाहेब के द्वारा गाँधी जी को प्रत्युत्तर में पत्र के माध्यम से भेजे गए, को भी समाहित किया गया है। इसके साथ ही वे पत्राचार भी छापे गए है जो जात-पात तोड़क मण्डल और डॉ. अम्बेडकर के बीच हुआ था। डॉ. अम्बेडकर की इस पुस्तक का भारत की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा इसे अलग-अलग प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित करवाया गया है। पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह पुस्तक जाति व्यवस्था को खत्म करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकती हैं।

'जाति का विनाश' पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए? बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित यह पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए व अन्य लोगों को भी पढ़ानी चाहिए क्योंकि इस पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था क्या है? इसके लक्षण क्या है? भारत में जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या दुनिया के किसी अन्य देश में भी जाति व्यवस्था थी? जाति क्यों अन्यायपूर्ण, अतार्किक व विवेकहीन व्यवस्था है। जाति का हिन्दू धर्म और धर्मशास्त्रों से क्या रिश्ता है? जाति के पक्ष में जो तर्क दिये जाते रहे हैं, क्यों वे तर्क, तथ्यहीन और असंगत है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के लिए वर्ण-जाति व्यवस्था का खात्मा क्यों जरूरी है? आदि सैंकड़ो प्रश्नों का जवाब बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने इस पुस्तक में

Scanned by CamScanner

दिया है। बाबासाहेब का विचार था कि जब तक भारत में जाति प्रथा रहेगी, भारत मजबूत नहीं हो सकता। वे जातिप्रथा को राष्ट्र विरोधी मानते थे तथा जाति को सामाजिक जीवन में अलगाव व भेदभाव पैदा करने वाला तत्त्व मानते थे, जो लोगों के बीच ईर्ष्या, घृणा व द्वेष पनपाती और फैलाती है। उनका मानना था कि यदि हम पूरी वास्तविकता में एक राष्ट्र बनाना चाहतें हैं तो हमें उन सारी कठिनाइयों पर विजय हासिल करनी होगी, क्योंकि बंधुता केवल तभी हकीकत बन सकती है, जब हम एक राष्ट्र हो। बंधुता के बिना समानता और स्वतंत्रता रंग की पुताई वाली परतों से ज्यादा गहरी नहीं हो सकती। इसलिए डॉ.अम्बेडकर ने नवयुवकों का आह्वान किया कि वो अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह को सर्वाधिक प्रोत्साहन दे। बाबासाहेब का मानना था कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन धार्मिक अवधारणाओं को नष्ट करना जरूरी है जिन पर जाति प्रथा आधारित है। दूसरे शब्दों में बाबासाहेब ने सामाजिक सुधार के लिए हिन्दू समाज के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण को जरूरी बताया था।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबासाहेब का योगदान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। जून 1916 में अम्बेडकर ने पी.एच.डी. के लिए थीसिस प्रस्तुत की जिसका शीर्षक था ' नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया ए हिस्टोरीक एंड एनालिटिकल स्टडी।' अर्थशास्त्र में डी. एस.सी. के लिए मार्च 1923 में उन्होंने अपनी थीसिस 'द प्रोब्लम ऑफ द रूपीज इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशंस' प्रस्तुत किया। इस थीसिस को लंदन की पी एस किंग एंड कंपनी ने दिसम्बर 1923 में **' द प्रोब्लम ऑफ द रूपी'** के नाम से प्रकाशित किया। पुस्तक की भूमिका मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर कैनन ने लिखकर डॉ. अम्बेडकर की भूरि भूरि प्रशंसा की। इस पुस्तक में डॉ. अम्बडेकर ने मुद्रा समस्या का अत्यंत विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार टकसाल बंद कर देने से मुद्रास्फीति तथा आंतरिक मूल्य असंतुलन दूर हो सकता है। उनका कहना था कि सोना मूल्य का मापदंड होना चाहिए और इसी के अनुसार मुद्रा में लचीलापन होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर का निष्कर्ष था कि भारत को स्वर्ण विनिमय मानक की मौद्रिक नीति अपनाने से बहुत नुकसान हुआ है। उनका निष्कर्ष था कि भारत को अपनी मुद्रा विनिमय दर स्वर्ण विनिमय मानक की जगह स्वर्ण मानक अपनाना चाहिए, जिससे की मुद्रा विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो और सट्टेबाजी को अधिक बढ़ावा न मिले।

मौद्रिक नीति के विषय में उन्होंने जे. एम केन्स जैसे नोबल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री से भी टक्कर ली जो कि स्वर्ण विनिमय मानक के पक्षधर थे। रूपए के

Scanned by CamScanner

संबंध में यह पुस्तक अब तक लिखी गयी सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पुस्तक की समीक्षा करते हुए 'द टाइम्स' (लंदन) ने लिखा 'यह पुस्तक अति श्रेष्ठ रचना है तथा इसमें अंग्रेजी की शैली सुगम है। अपने विषय में उनकी सम्पूर्ण पैठ है' द इकॉनोमिस्ट (लंदन) ने लिखा कि यह सुस्पष्ट और सुयोग्यतापूर्ण लिखी गयी पुस्तक है। अन्य अनेक रचनाओ में से मुद्रा समस्या का कोई अन्य पहलू निश्चित रूप में इतना पठनीय नहीं है। कुछ समय पश्चात 'रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस' जिसको हिल्टन युवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत आये इस आयोग के हर सदस्य के पास **' द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी'** पुस्तक संदर्भ ग्रंथ के रूप में मौजूद थी। भारत की मुद्रा समस्या के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने 'हिल्टन युवा आयोग' के सामने जो विचार प्रस्तुत किए वे उनकी मुद्रा समस्या के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1926 में प्रस्तुत की इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।

श्रमिको के मसीहा बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर श्रमिक कल्याणकारी कानून और भविष्य निधि (पीएफ) और रोजगार कार्यालय के जनक भी थे। 2 जुलाई 1942 को वाइसरॉय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डॉ. अम्बेडकर को श्रम सदस्य (वर्तमान समय में लेबर मिनिस्टर) के रूप में शामिल किया गया। मालिक व मजदूरों के तमाम संघर्षों में उन्होंने मजदूरों का साथ दिया। 7 मई 1943 को उन्होंने त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन द्वारा संस्थापित स्थायी श्रम समिति की अध्यक्षता की और संयुक्त श्रम समितियां और रोजगार कार्यालय स्थापित करने के लिए पहल की। आज जो हम हर जिले में रोजगार कार्यालय (Employment Office) देख रहे हैं, वो डॉ. अम्बेडकर की ही देन है। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होनें भविष्य निधि योजना (प्रोविडेंट फंड) लागू करवाया। उन्होने नौकरीपेशा लोगों के लिए काम के घंटे तय करने में भी भूमिका निभाई। उनका मानना था कि एक व्यक्ति का काम करने का घंटा निश्चित रहना चाहिए।

अप्रैल 1944 में डॉ. अम्बेडकर ने एक संशोधन बिल पेश किया कि निरंतर काम करने वाले मजदूरों को सवेतन अवकाश दिया जाए। डॉ. अम्बेडकर ने मजदूरों से कहा कि वे पूंजीपतियों से यह सवाल पूछें कि उन्होंने मजदूरों का रहन-सहन ऊंचा उठाने के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च किया? डॉ. अम्बेडकर के अनुसार औद्योगिक शांति स्थापना के लिए एक समझौता व्यवस्था, श्रम-विवाद-कानून में संशोधन और न्यूनतम वेतन कानून आवश्यक थे।

किसानों के हितैषी बाबासाहेब

सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर द्वारा किया गया काम

Scanned by CamScanner

उल्लेखनीय हैं। इसका फायदा विशेष कर देश के किसानों को मिला। वाइसरॉय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में डॉ. अम्बेडकर को केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) का मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1945 में बंगाल और बिहार के लिए एक बहुउद्देशीय ''दामोदर घाटी विकास योजना'' प्रस्तुत की जो अमेरिका के तेन्नेसी वैली प्रोजेक्ट से मिलती जुलती थी। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए पानी, जल मार्ग से यातायात, बिजली का उत्पादन आदि जैसे काम किए गए जिससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिला। नवम्बर 1945 में उन्होंने उड़ीसा में वहां की नदियों के विकास के लिए एक बहुउद्देशीय योजना शुरू की जो अंतत: हीराकुंड बांध के रूप में कारगर हुई। डॉ. अम्बेडकर ने हीरा कुंड बांध योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जल मार्गो का विकास कर सस्ते यातायात को बढ़ावा दिया जा सकता है, उनका कहना था कि बिजली का उत्पादन और सिंचाई योजनाओं का विकास भारत के औद्योगिकरण के लिए और आर्थिक विकास के लिए अतिआवश्यक है। उन्होंने भारत की खनिज संपदा के विकास और उत्खनन के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की और जोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत का विकास औद्योगिकरण से ही संभव है और औद्योगीकरण करने के लिए राज्य समाजवाद अनिवार्य है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि सुधार और खेती में सहकारिता को लागू किया जाना चाहिए।

अछूतोंद्धार के कार्य

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबासाहेब डॉ.आंबेडकर जब भारत लौटे तो उन्होंने अछूतोंद्धार के ध्येय को हासिल करने के लिए अपनी कटिबद्धता दिखाई। इस हेतु 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से वे अछूतों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति हो, उसी तरह उनको राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त हो, इसके लिए संघर्ष करते रहे। अछूतों में आत्मसम्मान की भावना जाग्रत हो इसके लिए सम्मेलन-अधिवेशन आयोजित कर भाषणों द्वारा प्रेरणा देते रहे। लेखन कार्य द्वारा भी जाग्रति के लिए प्रयत्न करते रहे। इस दरम्यान अछूत समाज ज्ञान प्राप्त कर सके इस हेतु रात्रिशाला, पुस्तकालय व छात्रावास शुरू किये।

महाड़ सत्याग्रह व कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन

महाराष्ट्र के महाड़ नामक कस्बे के मध्य में स्थित चवदार तालाब में उच्च वर्ग की सभी जातियों व पशु पक्षियों को पानी पीने का अधिकार था। लेकिन अछूत समझे

Scanned by CamScanner

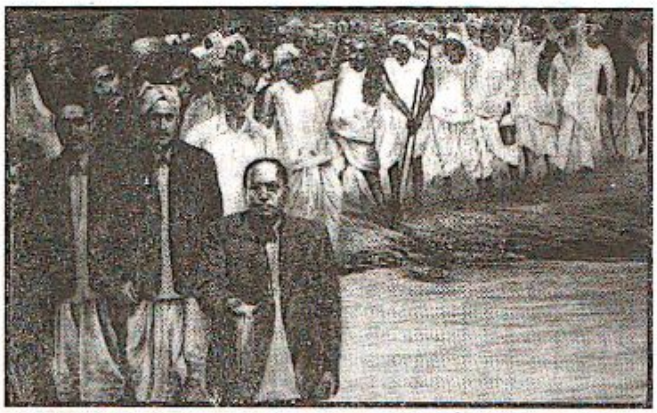

जाने वाले लोग पानी नहीं पी सकते थे। 1923 में नगर निकाय ने कानून बनाकर सार्वजनिक तालाब सभी जातियों के लिए खुले किए, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों के विरोध के कारण अछूत लोग पानी को छू भी नहीं सकते थे। इस हेतु बाबासाहेब ने 19-20 मार्च, 1927 को पानी के लिए सत्याग्रह किया था। करीब 15 हजार अछूत स्त्री-पुरूषों के साथ चवदार तालाब में पानी पिया। इस दौरान मनुवादी लोग भड़क उठे व लाठी-भाटों से लेश होकर अछूतों पर टूट पड़े। इस दौरान सैकड़ों लोग घायल हुए। बाबा साहेब ने स्वयं भी लाठियां झेली। 25 दिसम्बर 1927 को बाबासाहेब की मौजूदगी में उनके सहयोगियों द्वारा मनुस्मृति जलाई गई। मनुस्मृति के दहन कार्य से पंडित, पुरोहित, आचार्य महंत और शंकराचार्य हड़बड़ा गए। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। जिसमें 2 मार्च, 1930 को करीब 20 हजार स्त्री-पुरूषों के साथ मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। अछूतों के द्वारा लगातार सत्याग्रह से अक्टूबर 1935 में मंदिर प्रवेश कानून बनने पर कालाराम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए गए।

साइमन कमीशन के समक्ष अधिकारों की पैरवी

1928 में भारत आए साइमन कमीशन के समक्ष बाबा साहेब ने अछूतों के अधिकारों की पैरवी करते हुए संयुक्त चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों के लिए पदों पर आरक्षण देने की माँग की तथा अछूतों की संख्या के अनुपात में ही शिक्षण, रोजगार व नौकरी में भी प्रतिनिधित्व की माँग रखी। इसके फलस्वरूप 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर केन्द्रीय सभा के संयुक्त चुनाव में सभी पदों पर अछूतों को भी आरक्षण मिला। उन्होंने पोस्ट, टेलीग्राफ, रेल्वे, कस्टम, इंकम टैक्स जैसे विभागों में भी अछूतों के लिए आरक्षित सिटों की व्यवस्था करवाई। भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित व्यवस्था करवाई। केबिनेट मिशन के समक्ष भी दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए सिफारिश की। उसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए भारत के संविधान में अलग मताधिकार द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने की मांग की थी। लेकिन मिशन ने इस प्रश्न पर मौन साध लिया। साइमन कमीशन के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में डॉ. अम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार की जोरदार वकालत की और कहा कि इक्कीस वर्ष से ऊपर के सभी भारतीयों को चाहे

Scanned by CamScanner

वो महिला हो या पुरूष मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार के विरोधियों का कहना था कि वयस्क मताधिकार के लिए जितने मानव संसाधनों की आवश्यकता है उतने लोग सरकार के पास नहीं है। इस पर बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने दलील दी कि जिस तरह जनगणना के लिए कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहायता ली जाती है उसी प्रकार निर्वाचन के समय उनकी सहायता ली जा सकती है और दीर्घकाल के लिए आवश्यकतानुसार भर्ती भी की जा सकती है। आज युवा देश की राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर तब डॉ. अम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार को लेकर जोर न दिया होता तो राजनीति में युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाना आसान नहीं होता।

सामाजिक संगठन व संस्थाओं की स्थापना

(1) बहिष्कृत हितकारिणी सभा – 20 जुलाई 1924 को बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अछूत जातियों के उत्थान हेतु स्कूल, छात्रावास व शिक्षा के प्रसार केन्द्रों की स्थापना करना व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु कार्य करना था।

(2) समता सैनिक दल – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा आयोजित होने वाली सभाओं में मनुवादी लोगों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। इस हेतु बाबासाहेब को एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता महसूस हुई। 24 सितम्बर, 1924 को इस हेतु समता सैनिक दल की स्थापना हुई। समता सैनिक दल समता स्वतंत्रता, बंधुता व शोषण मुक्त समाज के निर्माण हेतु संघर्षरत एक लोकतांत्रिक व अनुशासनात्मक सैनिक संगठन है, जो स्थापनाकाल से अब तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयासरत है।

(3) बम्बई प्रांतीय अस्पृश्य परिषद (4) किसान मोर्चा (5) म्यूनिसिपल कामगार यूनियन (6) ऑल इंडिया शेडयूल कास्ट फैडरेशन (7) शोलापुर में प्रथम छात्रावास खोला (8) बम्बई पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी (9) बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना (10) औरंगाबाद में मिलिन्द कॉलेज की स्थापना।

राजनैतिक संगठन

स्वतंत्र मजदूर दल – बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल (Independent Labour Party) की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कामगार मजदूरों के हितों की रक्षा करना तथा उनके काम करने की अवधि निर्धारित करना, वेतन विसंगतियां दूर करना, पदोन्नति के अवसर बढ़ाना, अवकाश व आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान केन्द्रित करना था।

Scanned by CamScanner

अपने वोट की कीमत नमक, मिर्च जितनी मत समझो

भाईयो और बहनों, मुंबई विधानसभा के होने जा रहे चुनाव में मतदान कर किसे चुनकर लाया जाए, इस विषय पर विचार करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस देश में अनेकों राजा हुए हैं तथा अंग्रेजों को यहाँ आये लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं। अंग्रेजों के 150 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 60 वर्षों से यह विधानसभा अस्तित्व में आई है। इस सदन के माध्यम से जनता के प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। परंतु आठ करोड़ अछूत जनता की समस्याओं को सदन में रखने वाला प्रतिनिधि विश्व इतिहास में मिल नहीं पाया है। यह बात हमारे प्रयत्न से पूरी हुई है। आगामी अप्रैल1937 से प्रारंभ होने वाली विधानसभा हेतु सोलापुर जिले से एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार आप लोगों को मिला है। अब जो सदन चलेगा, वह अपने समाज की रक्षा का साधन होगा। वहीं पर हमारे सुख-दु:ख सुने जाएंगे। वहीं पर महार वतन संबंधी, बंजर जमीन मिलने संबंधी, अस्पृश्यता के कारण आई दयनीय अवस्था को दूर करने के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती संबंधी, एक नहीं सैकड़ों समस्याओं के लिए विधानसभा में संघर्ष कर हमें सुविधाएँ प्राप्त करनी हैं। तात्पर्य यह हैं कि आप लोगों का जाने वाला प्रतिनिधि मान-सम्मान के लिए जाने वाला न होकर, समाज हित के लिए संघर्ष करने वाला चाहिए। यह बात आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए।

हम प्रतिदिन के व्यवहार में देखते है कि घर का निर्माण करते समय पत्थर, ईंट के काम के लिए मिस्त्री व लकड़ी के काम हेतु हम बढ़ई लगाते है। कही रेलवे का पुल बनाना हो तो इंजीनियर की आवश्यकता होती है। शाला के शिक्षक को वह काम करना नहीं आता है! परंतु यहाँ के शिवचरण मास्टर ने इस जिम्मेदारी के लिए मेरा चयन किया जाए, ऐसा पत्र मुझे लिखा है। अंग्रेजी न जानने वाले इस मास्टर पर मैंने दो महीने तक विचार किया और फिर अंत में मैंने जिवाप्पा ऐदाले का नाम घोषित किया है। इतना होने तक मागाडे का नाम मुझे सूचित नहीं किया गया था, वह बाद में सूचित किया गया। परंतु इस नाम के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इस संबंध में मेरे पास प्रमाण है।

कांग्रेस को स्वराज चाहिए तथा हमें भी स्वराज चाहिए। परंतु वह प्राप्त करने हेतु कांग्रेस का जो अवज्ञा-आंदोलन वाला मार्ग है, वह हमें मान्य नहीं है। क्या अवज्ञा आंदोलन से स्वराज मिल सकता है? कांग्रेस वाले आपको बतायेंगे कि... हम सबकी एकता के बल पर हम अंग्रेज सरकार को अपने देश से भगायेंगे और आजादी हासिल करेंगे। वास्तव में जिनके पास खटमल मारने की हिम्मत नहीं है, वे सुदृढ़ तथा सुसज्जित अंग्रेज सरकार को देश से कैसे निकाल बाहर करेंगे? और समझिए यदि कल अंग्रेज सरकार इंग्लैण्ड को चल दी, तब हमें धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक

Scanned by CamScanner

अवनति की खाई में ढ़केलने वाले शोषक जमीदार, क्या ये भी विदेश जाने वाले है? **कांग्रेस तो सेठ-साहुकार, जमींदार और पूंजीपतियों की संस्था है। इसीलिए आप ऐसे लोगों के झांसे मे मत आईए।**

भाईयों, अपने वोट की कीमत नमक-मिर्च की भांति न समझे। आपके मतों का मूल्य आपके प्राणों से भी बढ़कर है, यह मत भूलिए। ऐरे-गेरे उम्मीदवार को मत दोगे, तो वह खटीक के हाथों में बकरे की छुरी देने जैसे होगा। जिवाप्पा ऐदाले अपनी पार्टी के उम्मीदवार मेरे सिर पर है। अत: आप जिवाप्पा ऐदाले को अपने तीनों मत देकर उन्हें चुनकर लाईये। दूसरे उम्मीदवार मेरे शत्रु नहीं है, परंतु जिनके पास पक्ष नहीं है, ध्येय नहीं है, तत्व नहीं है। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार नहीं हूँ। आपको अभी तक किसी ने जिले का, तहसील का या रिश्तेदारी के अभिमान का हवाला दिया होगा। तब फिर घर-घर में ऐसे उम्मीदवार खड़े होने पर आपके कल्याण का सत्यानाश ही होगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

अंत में आप लोगों को इतना ही कहना है कि इस शहर में मजदूरों की ओर से आपको एक मत देने का अधिकार मिला है। उस जगह के लिए मजदूरों की ओर से रघुनाथराव बखले खड़े है। अब तक उन्होंने कौंसिल में गरीब, मजदूर, किसान, अछूतों की सेवा की है, वह मुझे ज्ञात है। सोलापुर के मजदूरों को उन्हे ही वोट करना चाहिए। सेठ-साहुकार, मिल मालिकों के चमचों को मत देकर आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। अत: अपना मत बखले को दीजिए। (दिनांक 24 जनवरी 1936 को बाबा साहेब द्वारा स्वतंत्र मजदूर दल के पक्ष में प्रचार दौरे के दौरान सोलापुर में दिया गया भाषण, जनता 22 फरवरी 1936. साभार: मैं डॉ. भीमराव अम्बेडकर बोल रहा हूँ भाग -1, अनुवादक- प्रभाकर गजभिये)

समाचार पत्र व पत्रिकाएं

बाबासाहेब लेखक के साथ-साथ एक सफल सम्पादक भी थे। डॉ. अम्बेडकर की स्पष्ट अवधारणा थी कि पत्रकारिता ही जनजागृति का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने 1920 में मूकनायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, 1930 में जनता, 1956 में प्रबुद्ध भारत नाम पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की व संपादन किया। इन पत्रों के अलावा समता पत्रिका (1920) से भी बाबासाहेब परोक्ष रूप से जुड़े रहे।

मनोगत

('मूकनायक' साप्ताहिक का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादकीय बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर ने 'मनोगत' नाम से लिखा था)

काय करू आता धरुनिया भीड, नि:शंक हे तोंड वाजविले!
नव्हे जगी कोणी मुकियांचा जाण, सार्थक लाजून नव्हे हित!! -संत तुकाराम

दूसरों से हम कितने दिन डरकर रहेंगे। मैंने निर्भय होकर विचार प्रकट

Scanned by CamScanner

किए हैं। विश्व में अन्याय सहन करने वाले पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यदि हमें अपना हित साधना है, तो मौन तोड़ना ही होगा।

हमारे बहिष्कृत समाज पर हो रहे अत्याचार, उस पर उपाय योजना, हमारी भावी उन्नति व उसके उपाय हेतु समाचार पत्र की भांति अन्य दूसरी कोई जगह नहीं है, किंतु बंबई प्रदेश से निकलने वाले समाचार पत्रों को देखकर प्रतीत होता है कि यहाँ अधिकांश समाचार पत्र विशिष्ट जाति की सेवा में कार्यरत है, उन्हें अन्य जातियों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, कभी-कभी वे अहितकारी प्रलाप लगाते हैं। ऐसे समाचार पत्रों को हमारा इशारा है कि यदि किसी एक जाति की अवनति हुई, तो उसका प्रभाव दूसरी जातियों पर भी पड़ेगा।

समाज नौका सदृश्य है। जहाज में यात्रा कर रहे किसी यात्री ने अपने विघातक स्वभाव के कारण तथा दूसरों की तकलीफ में राक्षसी आनंद उठाने के मोह में वह यदि जहाज के दूसरे कमरे में छेद करता है, तब पूरे जहाज के साथ-साथ उसे भी जल समाधी मिलेगी। वैसे ही किसी जाति विशेष का नुकसान करने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी जाति का भी नुकसान होगा, इसमें कोई शंका नहीं है।

अत: अपना स्वार्थ साधने वाले समाचार पत्र दूसरों का अहित कर अपना हित साधने की मूर्खता न करें। जिन्होंने इस बुद्धिवाद को स्वीकार किया है, ऐसे भी समाचार पत्र है... दीनमित्र, जागरूक, डेक्कनरयत, विजयी मराठा, ज्ञान प्रकाश, इंदू प्रकाश, सुबोध पत्रिका आदि। इन समाचार पत्रों में बहिष्कृत समाज के ज्वलंत प्रश्नों पर चर्चा होती रहती है, किंतु ब्राह्मणेतर जातियों की भी इन समाचार पत्रों में बहुतायत में चर्चा होती रहती है। परिणामस्वरूप बहिष्कृत समाज की सम्पूर्ण समस्याएँ इन समाचार पत्रों में जगह नहीं पा सकती है, यह निर्विवाद सत्य है। इस समाज की परिस्थिति अति विकट है, इनकी समस्याओं का उहापोह करने हेतु स्वतंत्र समाचार पत्र की नितांत आवश्यकता है। इस सत्य को कोई भी स्वीकार करेगा।

इस कमी को पूरा करने के लिए 'मूकनायक' समाचार पत्र का जन्म हुआ। विशेष तौर पर अस्पृश्यों के सुख-दु:ख, उनकी कथा-व्यथा कहने के लिए सोमवंशीय मित्र, हिंद नागरिक, बिटाल विध्यवंसक समाचार पत्र निकले तथा बंद भी हो चुके हैं, पाठकों द्वारा वार्षिक शुल्क जमाकर पूरा सहयोग मिलने पर 'मूकनायक' के कदम डगमगायेंगे नहीं, वरन् मूकनायक स्वजन उद्धार हेतु महत्वपूर्ण काम करने वाले सैनिकों, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगा, यह आश्वासन देते हुए मैं अपना निवेदन

Scanned by CamScanner

समाप्त करता हूँ। (साभार :- मैं डॉ. भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूँ भाग-1 से संकलित अंश)

बाबासाहेब का लेखन संसार

बाबासाहेब डॉ.बी.आर. अम्बेडकर का लेखन संसार बहुत बड़ा है। अपने जीवनकाल में उन्होंने कई दर्जन शोधपत्र प्रबंधन व पुस्तकें लिखी जिनमें मुख्य निम्नलिखित है। (1) भारत में जातियां उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार (2) भारत में छोटी जोतें समस्याएं एवं समाधान (3) रूपये की समस्या : उद्गम और निदान। (भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग का इतिहास) (4) जाति का विनाश (5) पाकिस्तान विषयक विचार (6) पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन (7) रानाडे, गाँधी और जिन्ना (8) भगवान बुद्ध और उनकी देशनाएं। (9) राज्य और अल्पसंख्यक (10) कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया? (11) शुद्रों की खोज (12) अछूत कौन और कैसे? (ये अछूत क्यों और कैसे बने?) (13) हिन्दू धर्म की रिडल (14) बुद्ध और उनका धम्म (15) बुद्ध पूजा पाठ आदि दर्जनो शोध-पत्र, प्रबंध लेख व पुस्तके बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई। बाबा साहेब की रचनाएँ आज भी जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ रही है।

पूना-पैक्ट

(24 सितम्बर 1932, भारतीय राजनीति का काला अध्याय)

भारत देश में शासन चाहे राजा महाराजाओं का रहा हो चाहे अंग्रेजों का, अछूतों पर अमानवीय अत्याचारों का सिलसिला सदियों से जारी रहा। जातिवादी पूर्वाग्रह से ग्रसित अमानवीय व्यवस्था के चलते अछूत जानवर से भी घृणित एवं बदतर नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिए गए। आजादी के आंदोलन के दौरान अछूतों को एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्हें भ्रमवश ऐसा प्रतीत होने लगा की आजादी के बाद उन्हें नारकीय जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। सदियों के शोषण और उत्पीड़न के अनुभव से अछूतों ने यह जान लिया था कि आजादी से पहले यदि उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं मिली तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि आजादी के बाद उनके अधिकारों की रक्षा होगी। इसलिए वे आजादी से पहले अपने अधिकारों की रक्षा की गारंटी चाहते थे। अछूतों के मसीहा बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर चाहते थे कि स्वराज संविधान में ऐसी व्यवस्था हो जो आजाद भारत में अछूतों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दे। इसलिए उनको दृढ़ विश्वास था कि अछूतों का हित केवल पृथक निर्वाचन प्रणाली से ही संभव है।

अछूतों का हित और देश की आजादी दोनों ही बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर के सर्वोच्च लक्ष्य थे। दोनों ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने बड़े साहस के साथ भारत की आजादी के पक्ष प्रस्तुत किए जाने के साथ ही अछूतों की मर्मांतक पीड़ा का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले

Scanned by CamScanner

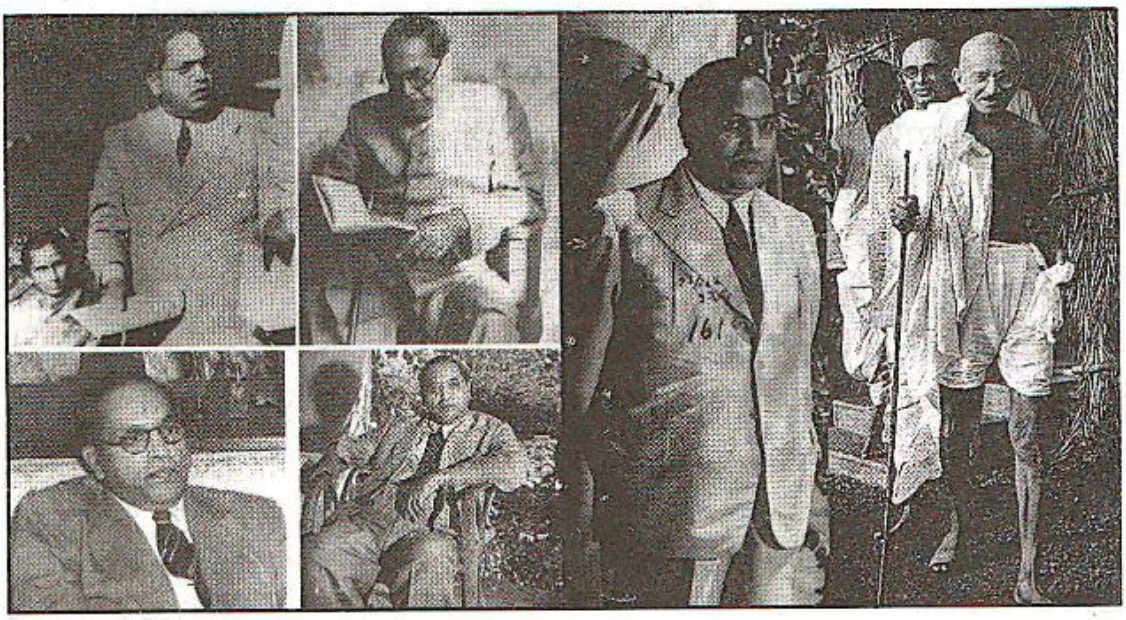

भी अछूत सार्वजनिक तालाबों और कुओ से पानी नहीं ले सकते थे और अब अंग्रेजी शासन में भी नहीं ले सकते। अछूतों को पहले भी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता था और आज भी यही हालात है। सरकारी सेवा में भी अछूतों का प्रतिशत नगण्य है अंग्रेजी शासन से हमारे करोड़ो अस्पृश्यों लोगों को क्या मिला ?

डॉ.आंबेडकर चाहते थे कि भारतीय समाज की अनोखी जातिवादी व्यवस्था पर प्रभावी होने वाले भावी संविधान में ऐसे विशेष प्रावधान किए जाए जिससे 11 करोड़ (6 करोड़ अनुसूचित जाति एवं 5 करोड़ जनजाति) दीन हीन अछूतों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त हो सके। जिन्हें अब तक के हर शासन काल में जानवरों से भी बदत्तर जीवन जीने को मजबूर किया जाता रहा है। बाबासाहेब के अथक प्रयासों एवं संघर्ष के बाद अंग्रेजी सरकार इस तरह का समाधान खोजने के लिए विवश हो गई। जिससे सभी समाज अथवा समुदाय संतुष्ट हो और उसने इस संबंध में अल्पसंख्यक समझौता (कम्युनल अवार्ड) की घोषणा कर दी। जिससे अछूत वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को 20 वर्ष के अनुभव या तब तक की अछूत वर्ग को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता संयुक्त निर्वाचन में नहीं बदलने की व्यवस्था की गई।

लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे की अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हो। गांधी जी का मानना था कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हिंदुओं की एकता को विखंडित करेगी। इसलिए इसके विरोध में गाँधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। यरवदा जेल में नजरबंद गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को दोपहर 12:00 बजे आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके आमरण अनशन से देशभर में जैसे राजनीतिक भूचाल आ गया। अछूतों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश था कि सदियों के बाद अब नारकीय जीवन से मुक्ति का मार्ग खुलने को हुआ तो ये हमेशा के लिए बंद करने के प्रयास शुरू हो गए। गांधी जी के प्राणों की रक्षा के

Scanned by CamScanner

लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर, साम–दाम, दंड भेद की नीति अपनाते हुए ऐसा कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा। जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया। डॉ. अंबेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार का तूफान खड़ा कर दिया गया। पूरे देश में भारी तनाव का माहौल पैदा हो गया। देश में ऐसी हवा चलने लगी मानो डॉ. अंबेडकर गांधी जी के प्राणों के दुश्मन बन गए हैं। इस दौरान ना केवल बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर को मार डालने की धमकी भरे पत्र आने लगे बल्कि अछूतों के बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को मार डालने और अछूतों के पूरे के पूरे गांव तहस नहस करने की धमकियां मिलने लगी। अनेको जगह अछूतों की बस्तियां जला दी गई। अछूतों का कत्लेआम होने की संभावनाएं पैदा होने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में बाबासाहेब को मानवता के नाते गांधी जी के प्राणों की रक्षा के लिए अनिच्छापूर्वक भारी दबाव और बोझिल मन से 24 सितंबर 1932 को एक समझौते के लिए सहमति देनी पड़ी जिसे 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है यानी अछूतों के साथ गांधी और कांग्रेस के विश्वासघात का परिणाम है 'पूना पैक्ट'। कहते हैं कि किसी व्यक्ति या संगठन के व्यवहार में तो परिस्थितिवश कुछ समय के लिए परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलती कांग्रेस ने पूना पैक्ट का पालन नहीं किया और अछूतों के साथ छल का सिलसिला आज भी जारी है वर्तमान में भी कांग्रेस और भाजपा के द्वारा तरह–तरह के जाल बुनकर बहुजनो को फंसाया जा रहा हैं। यदि बाबासाहेब ने मानवता के नाते गांधी जी के प्राणों की रक्षा नहीं की होती और दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया होता तो आज देश की राजनीति का परिदृश्य कुछ और ही होता।

मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिन्दू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं

भाईयों तथा बहनों, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्तर पर अछूत वर्ग की हर तरह से नाकाबंदी की जाती है। हिंदू धर्म के दबाब में हमें मनुष्य के सामान्य अधिकार हासिल करना भी असंभव हो गया है। उसके लिए मैने हद से बाहर का स्वार्थ त्याग किया, किन्तु सब व्यर्थ गया है। पिछले पांच वर्षो में नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश का प्रयत्न, हिंदू समाज में समान अधिकार तथा समान दर्जा प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न निरूपयोगी ही सिद्ध हुए है।

सामान्य मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए स्पृश्य हिंदुओं का मन परिवर्तन करने के लिए, जो हमने निरर्थक प्रयत्न किए उसमें हम अपने पास की अल्प पूंजी भी गँवा बैठे हैं। उनकी ओर से हमारी जो अपरिमित मानहानि हुई है, उसे भी हमने सहन किया है। किंतु यह सारा स्वार्थ त्याग निष्फल ही साबित हुआ है। चुपचाप तथा विनम्रता से आज तक हमने जो अन्याय सहन किया, किंतु उसका लेशमात्र भी परिणाम हिंदुओं के अंत:करण पर नहीं हो पाया है। हम यदि दूसरे धर्म के अनुयायी

Scanned by CamScanner

होते तथा आज हम उदर निर्वाह हेतु जो काम कर रहे है, वे ही काम हमने किये होते, तब इन हिंदुओं ने हमारे साथ क्या इसी तरह का अपमानजनक व्यवहार किया होता?

हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, यह जो दाग हमें लगा हुआ है, यही दाग हमारी प्रगति में बाधक है। हमारी मानहानि का सवर्ण हिंदुओं द्वारा हमारे साथ किये गये तुच्छता के व्यवहार का यही एक कारण है। यदि यह सत्य है, तब फिर धर्म के नाम का यह सिक्का लेकर बैठने का क्या उपयोग है? जिस तरह हमें इंसानियत के साथ न रहने को मजबूर किया जाता है, फिर उस हिंदू धर्म का अंश बनकर, हमे अपना जीवन क्यों व्यर्थ करना चाहिए? ऐसी अवस्था में रहने के बजाय इस धर्म से अलग होकर तथा दूसरे धर्म में जहां अपनी मानहानि नहीं होगी व नीच दर्जे में रहने को हम विवश नहीं होगे, उस धर्म को स्वीकार करना क्या योग्य नहीं होगा?

अछुतों द्वारा हिंदू धर्म का त्याग करने के पश्चात वें फिर किस धर्म को स्वीकार करेगें, यह प्रत्येक की इच्छा पर निर्भर होगा। उन्हे केवल वही धर्म स्वीकार करना चाहिए, जहां समानता के अधिकार मिलते हो। ''दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि मैं अछूत हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ हूं, परन्तु यह मेरे वश की बात नहीं थी, तथापि इस नीच दर्जे को ठोकर मारकर इस स्थिति को सुधारना मेरे लिए संभव है तथा मैं वह अवश्य करूंगा। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं हिन्दूं रहकर मरूंगा नहीं।''

हिंदू धर्म में समान दर्जे को प्रस्थापित करने के लिए सत्याग्रह के मार्ग का अब कुछ उपयोग होने वाला नहीं है। इस मार्ग की अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा समाज अब हिंदू धर्म से अलग तथा स्वतंत्र है, हमें यही मानना चाहिए। उसी भांति नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के लिए हमें अपनी लड़ाई चालू रखनी होगी। इसके लिए हमें आपसी मतभेद, आंतरिक कलह को भूलकर एवं संगठित होकर अपने ध्येय को हासिल करना होगा, अब यही हमारा कर्त्तव्य है।

नये संविधान में अछूत वर्ग को अपने अधिकारों को मजबूती से रखने हेतु, सच्चे प्रतिनिधियों का चयन करना आवश्यक है। हिंदू धर्म की जंजीरो में अपने को न जकड़ते हुए, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रबल इच्छा को अछूत वर्ग को सारी दुनिया को दिखा देना चाहिए। यही मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है। (13 अक्टूबर 1935 को येवला (नासिक) में बाबासाहेब डॉ.बी.आर. अंबेडकर द्वारा धर्मांतरण की घोषणा पर दिये गये ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंश। साभार : मैं डॉ. भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूँ भाग - 1 से संकलित अंश)

मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि मेरा समाज सो रहा हैं

एक बार इंग्लैंड से मैनचेस्टर के गार्डियन समाचार पत्र के प्रतिनिधि और अमेरिका के न्यूयार्क टाइम्स के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं के इंटरव्यू लेने आए। वे पहले गाँधी जी से मिले और उन्होंने उनके रात्रि 9 बजे का समय साक्षात्कार के लिए

Scanned by CamScanner

दिया। जब वे जिन्ना से मिले तो उन्होंने उनको छूट दी और उनको रात्रि 9.30 बजे का समय दिया। जब बाबासाहेब से मिले तो उन्होंने उनको छूट दी कि वे किसी भी समय उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। दोनों प्रतिनिधि निर्धारित समय रात्रि 9 बजे गाँधीजी के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि गाँधीजी सो रहे हैं, और वे दिन में आएं। जिन्ना साहिब के घर गए तो वह भी सोए हुए थे। जब वे बाबासाहेब के पास मध्य रात्रि (लगभग 12 बजे) पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि बाबासाहेब अपने अध्ययन के कक्ष में पूर्ण वेशभूषा में अध्ययन करते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आते ही कहा आश्चर्य है देश के दो बड़े नेता महात्मा गाँधी और मा. जिन्ना हमको सोए हुए मिले। आप अभी तक अपनी नियमित ड्रेस में हमारी प्रतिक्षा में जाग रहे हैं। बाबासाहेब ने उत्तर दिया मा. गाँधी और मा. जिन्ना आराम से सोते हैं क्योंकि उनका समाज जागृत है, वे जागरूक है। **मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है।** अनभिज्ञ है, वह उनकी भांति जागरूक नहीं है। दोनों पत्रकार इस उत्तर को सुनकर अवाक रह गए। क्या हमारा समाज आज भी जागरूक हो सका है?

मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगो ने धोखा दिया

बाबासाहेब आम्बेडकर से जब काका कालेलकर कमीशन 1953 में मिलने के लिए गया, तब कमीशन का सवाल था कि, आपने सारी जिन्दगी अछूत व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगा दी। आपकी राय में उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? बाबासाहेब ने जवाब दिया कि, अगर पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है तो इनके अन्दर बड़े लोग पैदा करो। काका कालेलकर यह बात समझ नही पाये। उन्होंने फिर सवाल किया, बड़े लोगों से आपका क्या तात्पर्य है? बाबासाहेब ने जवाब दिया कि, अगर किसी समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर पैदा हो जाए, तो उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। इस वाकये के ठीक 3 वर्ष बाद 18 मार्च 1956 में आगरा के रामलीला मैदान में बोलते हुए बाबासाहेब ने कहा **'मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया'** मैं समझता था कि ये लोग पढ़ लिखकर अपने समाज का नेतृत्व करेगें, मगर मैं देख रहा हूँ कि, मेरे आस~पास बाबुओं की भीड़ खड़ी हो रही हैं, जो अपना ही पेट पालने में लगी हैं। यही नही, बाबासाहेब अपने अन्तिम दिनों में अकेले रोते हुए पाये गये। जब वे सोने की कोशिश करते थे, तो उन्हें नींद नहीं आती थी। अत्यधिक परेशान रहते थे। परेशान होकर उनके सेवक नानकचंद रत्तु ने बाबासाहेब से सवाल पूछा कि 'बाबा साहेब 'आप ईतना परेशान क्यों रहते है? उनका जवाब था, नानकचंद, ये जो तुम दिल्ली देख रहो हो, इस अकेली दिल्ली में 10,000 कर्मचारी, अधिकारी केवल अनुसूचित जाति के है, जो कुछ साल पहले शून्य थे। अपने लोगों में पढ़े लिखे लोग पैदा करने के लिए मैंने अपनी जिन्दगी का सब कुछ दाँव पर लगा दिया क्योंकि मैं समझता था कि, मैं अकेला पढ़कर इतना काम कर सकता हूँ, अगर हमारे हजारो लोग पढ़ लिख जायेगे, तो इस समाज में बड़ा परिवर्तन

Scanned by CamScanner

आयेगा। मगर नानकचंद, मैं जब पूरे देश की तरफ निगाह डालता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा नौजवान नजर नहीं आता है, जो मेरे कारवाँ को आगे ले जा सके। नानकचंद, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा हैं। जब मैं मेरे मिशन के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा सीना दर्द से फटने लगता है।

नारी के मुक्तिदाता बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर हिन्दू कोडबिल बनाकर लाखों निरीह महिलाओं को गैरजिम्मेदार और जालिम पतियों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें सामाजिक न्याय दिलवाना चाहते थे। उनका कहना था कि जब कोई हिन्दू पति अपनी पहली पत्नी को त्यागकर दूसरा, तीसरा या चौथा विवाह कर लेता है, तब ऐसी पहली पत्नी को अपने माता-पिता तथा भाई भतीजों के घर पर आश्रय लेना पड़ता है। वह बेचारी पत्नी इस स्थिति में भी अपने पति से न तो तलाक ले सकती थी, ना दूसरा विवाह कर सकती थी। हिन्दू कोड बिल के पास हो जाने पर ऐसी दु:खित और निरीह पत्नियां कानून के बलबूते पर ऐसे अत्याचारी पतियों से पीछा छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थी और जीवन-यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थीं। 'हिन्दू कोड बिल' की एक प्रबल विशेषता यह भी थी कि किन्हीं भी दो हिन्दू वर-वधुओं का विवाह चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद या जाति भेद कुछ भी हो उसे वैध माना जाता है और उनसे उत्पन्न संतान पैतृक सम्पत्ति में वैध अधिकारी बनेगी। इस कानून के बनने से पहले परस्पर विरोधी वर्णों, जातियों उप-जातियों में हुए विवाह से उत्पन्न पैतृक सम्पत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायज नहीं माना जाता था।

दत्तक बच्चों को अधिकार दिलाने में भी बाबासाहेब की विशेष भूमिका थी। शताब्दियों से धर्म-ग्रन्थों में निहित आदेशों एवं प्रचलित रूढियों के अनुसार दत्तक या गोद लेने की प्रथा केवल सजातीय या दोहिते को ही सुविधा देती थी। किन्तु हिन्दू कोड बिल न केवल किसी भी हिन्दू बालक को दत्तक या गोद लेने का अधिकार दिलवाता था बल्कि किसी लड़की को भी गोद लिया जा सकता है और वह गोद लेने वाले माता-पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त कर सकती है। हालांकि डॉ. अम्बेडकर की यह प्रगतिशील सोच उस समय सत्ता के केन्द्र में बैठे लोगों को रास नहीं आई और

Scanned by CamScanner

उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले इन कानून के हितैषी हिन्दू कोड बिल को पास नहीं होने दिया, इसके विरोध स्वरूप डॉ. अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

27 सितम्बर, 1951 को महिलाओं के अधिकारों के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री के पद से डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस्तीफा देने की बात से यह समझा जा सकता है कि वह महिलाओं को समान अधिकार दिलाने को लेकर कितने गंभीर थे। वह कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा अधिक दिलचस्पी और खुशी हिन्दू कोड बिल पारित करने में है। किसी राजनेता द्वारा महिलाओं के हित के लिए संघर्ष करने का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस यह है कि तमाम महिलाएं बाबासाहेब द्वारा उनके हित में किए गए कामों से आज भी अंजान हैं।

बाद में सन् 1955-56 में हिन्दू कोड बिल को कई टुकड़ों में, जैसे हिन्दू विवाह कानून, हिन्दू उत्तराधिकार कानून, हिन्दू गोद एवं गुजारा भत्ता कानून जैसे नामों से पास किया गया। इन कानूनों को पारित करवाने में भी डॉ. अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री मा. पाट्स्कर को हिन्दू कोड की एक-एक धारा को विस्तार से समझाकर और उसके विरोध में दी जाने वाली दलीलों के जवाब पहले से तैयार करके उनकी बहुत सहायता की। अंतरर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में भी बाबासाहेब का विशेष योगदान रहा। डॉ.अम्बेडकर का सपना पूरी तरह तब साकार हुआ जब सन् 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके पुत्री को भी समान पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया।

प्रसूति अवकाश (मैटरनिटी लीव) का अधिकार

तमाम सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव यानी प्रसूति अवकाश मिलने के कारण महिला कर्मियों को जो सहूलियत होती है, असल में यह सोच बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की थी। सन् 1942 में डॉ. अम्बेडकर को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भारत के इतिहास में पहली बार प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की। आगे चलकर जब डॉ. अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में ऐसा प्रावधान रखा कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और इस तरह समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, कानून मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल संसद में पेश किया। इसका उद्देश्य अलग-अलग पंथों में बंटे हिन्दू समुदाय के लिए एक समान आचार संहिता तैयार करना था, जिसमें महिलाओं को वैवाहिक विवाद की स्थिति में पति से तलाक के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में,

Scanned by CamScanner

गोद लेने के मामले में, गुजारा भत्ता के मामले में और परिवार में हिस्सेदारी के मामले में समान अधिकार मिले। हालांकि उस समय ये बिल पारित नहीं हुआ।

लोकतंत्र के प्रबल समर्थक बाबासाहेब

लंदन में गोलमेज सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में 20 नवम्बर 1930 को अपने भाषण में उन्होंने कहा– हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हों कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध आरंभ हो जाता है, फिर वे न्याय और समय की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं में परिवर्तन करने में नहीं हिचकिचाएं। यह काम केवल वही सरकार कर सकती है जो जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो तथा जनता द्वारा चुनी गई हो, हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख–दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं आती, हम भी उसे दूर नहीं कर सकते।

नए संविधान का निर्माण करते समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के कुछ ठोस तथ्यों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। इस बात को मानकर चलना होगा कि यहां सामाजिक व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए आदर और निम्न वर्ग के लिए घृणा की अन्याय–पूरक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसलिए वर्ग और जाति पर आधारित इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक समता और बंधुत्व की मानवीय भावनाओं के विकास की कोई संभावना नहीं है। इस बात को भी मानना होगा कि यद्यपि बुद्धीजीवी वर्ग भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है किंतु यह सभी उच्च वर्ग से आते हैं। यद्यपि वह देशहित की बात करते हैं और राजनैतिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, किंतु वे जातिगत संकीर्णताओं का परित्याग नहीं कर पातें। हमें बार–बार याद दिलाया जाता है कि अछूत वर्गो की समस्या एक सामाजिक समस्या है और उसका समाधान राजनीति में नहीं है। डॉ. अम्बेडकर इस विचार का जोरदार विरोध करते थे। वह अछूत वर्ग की समस्या को एक राजनैतिक समस्या मानते थे। उनका कहना था कि असली लोकतंत्र तभी आएगा जब बहुसंख्यक समाज देश का हुक्मरान वर्ग बने। उनका मानना था कि शोषित वंचित वर्ग के हाथ में राजनैतिक सत्ता आए बिना उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि सरकार एक ऐसा संगठन है जो (1) जनता की जीवन रक्षा, स्वतंत्रता, सुख, भाषा और धर्म पालन के अधिकारों की रक्षा करता है, (2) अछूत वर्गो को समान अवसर प्रदान करके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करता है और (3) अपने हर नागरिक को अभाव और भय से मुक्ति प्रदान करता है। स्वतंत्रता–पूर्व भारत में उन्होंने भारतीयों की आजादी और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मात्र राजनैतिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक भी होनी

Scanned by CamScanner

चाहिए। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि सरकार की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन होना चाहिए। उनका कहना था कि अच्छी सरकार वही है जो एक सुमदाय को दूसरे समुदाय के शोषण से बचाए और देश में आंतरिक उपद्रव, हिंसा और अव्यवस्था पर नियंत्रण करे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने में सहायता करे।

संविधान निर्माता बाबासाहेब

देश के स्वतंत्र होने से पूर्व 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अतंरिम सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु बने। डॉ. आंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। लार्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पारदर्शी विधानसभा द्वारा हुआ। जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के मनोनीत सदस्य भी थे। सर्वप्रथम बाबासाहेब

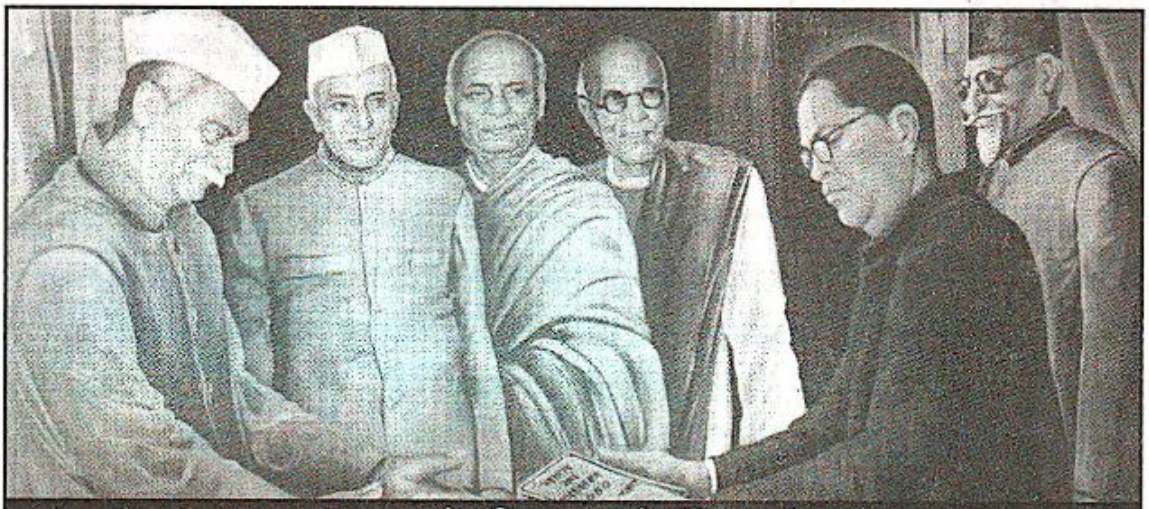

26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया।
बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर द्वारा राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद को संविधान प्रस्तुत।

अंबेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ तथा बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई। इसके बाद उनको मुंबई प्रदेश की विधानसभा से चुना गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर चुने गए। 30 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 सदस्य निश्चित किए गए थे। 1. बाबासाहेब डॉ.बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष) 2. माननीय अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर 3. डॉ. के.एस. मुंशी 4. माननीय एन. गोपालस्वामी अयंगर 5. माननीय सैय्यद मोहम्मद सैदुल्ला 6. माननीय बीएल मित्तर 7. माननीय डी. पी. खेतान।

संविधान प्रारूप समिति इस प्रकार थी :– संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबासाहेब डॉ.बी. आर.

Scanned by CamScanner

अंबेडकर, सदस्य एन. माधवराव, सैय्यद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एस.एस.मुखर्जी, जुगलकिशोर खन्ना, केवल कृष्णनन (कार्यालयीन अधिकारी) थे।

मसौदा समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक एक धारा पर चर्चा के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौप दिया। डॉ. अंबेडकर ने संविधान निर्माण की जिम्मेदारी को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए चुनी गई लेखा समिति पर अंबेडकर की अध्यक्षता में कुल सात सभासदों की संविधान समिति चुनी गई थी। लेकिन प्रत्यक्षतया में कुल सात सभासदों की संविधान समिति चुनी गई थी। जिनमें से एक सभासद की मौत हो गई थी, दूसरे सभासद अमेरिका चले गए और वहीं रह गए, तीसरे सभासद ने इस्तीफा दे दिया था। उन तीन जगहों को भरा नहीं गया। चौथे सभासद संस्था के कार्यों में लगे रहे, इसलिए उनका भी संविधान लेखन में कोई भी उपयोग नहीं था। वे सिर्फ नाम के ही सभासद थे। एक-दो सभासद दिल्ली से दूर थे और खराब स्वास्थ्य की वजह से वह अनुपस्थित ही रहे। इस वहज से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर को अकेले ही संविधान लेखन का संपूर्ण भार अपने कंधो पर उठाना पड़ा। दिन के 18-18 घंटे वह कार्यरत रहते थे। राष्ट्र द्वारा सौंपा गया कार्य करने के लिए उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की और बहुत ही कष्ट सहा। डॉ. अम्बेडकर ने अपने विचारों को संविधान के मूलभूत अधिकारों में अनुच्छेद 17 और 23 में रखा। भारतीय संविधान की नीव लोकतंत्र पर टिकी है, इसलिए डॉ. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पकार के रूप में जाना जाता है और कुछ विद्वान लेखक उनको भारतीय संविधान का पिता भी मानते हैं। डॉ. अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सन् 1952 में उन्हें एल.एल.डी की मानद डिग्री प्रदान की। हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सन् 1953 में डॉ. अम्बेडकर को **D. Litt. Doctor of Literature** की मानद डिग्री प्रदान की। डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र की आत्मा है, एक आदमी-एक मूल्य का सिद्धांत। संविधान बनाने में बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा में विस्तृत चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने नवनिर्मित संविधान को स्वीकृति प्रदान की। संविधान बनने के 1 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखित भारत का संविधान देश में लागू हुआ। बाबासाहेब को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना पहचाना जाता है।

नेहरू मंत्रिमंडल के रत्न बाबासाहेब

15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजो की गुलामी से आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू मंत्रिमंडल में बाबासाहेब को कानून मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में बाबासाहेब गैर कांग्रेसी नेता थे। बाबासाहेब की

Scanned by CamScanner

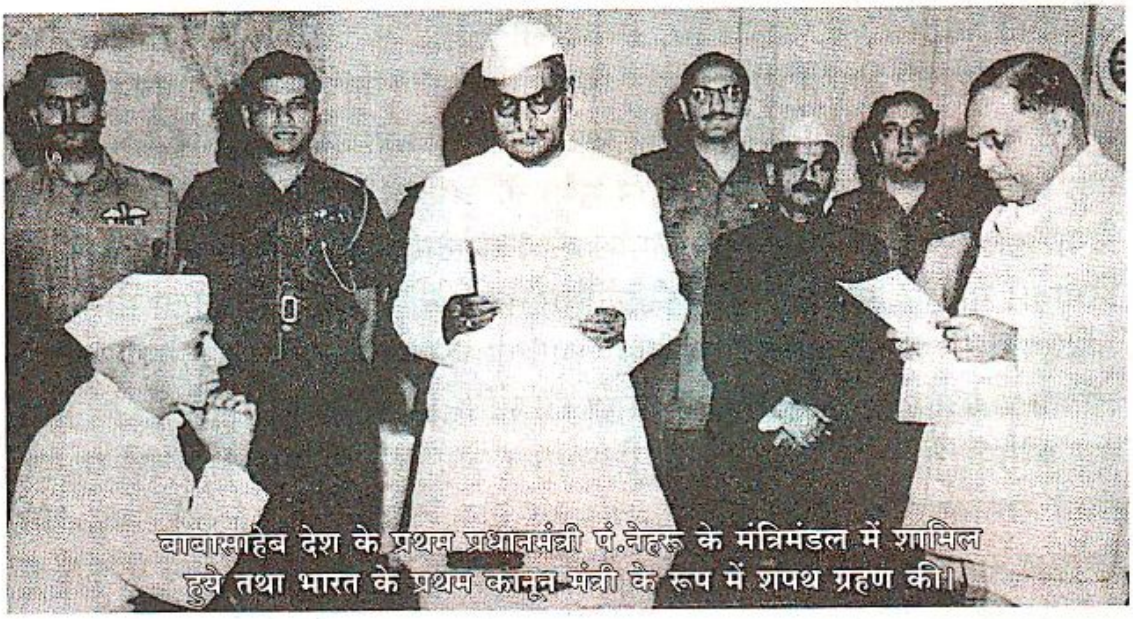

बाबासाहेब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं.नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुये तथा भारत के प्रथम कानून-मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

कांग्रेस के साथ कभी नही बनी। वे महात्मा गांधी की कूटनीतियों व अछूतों के प्रति दिखावे की राजनीति से काफी खिन्न थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभभाई पटेल की दोगली नीतियां भी बाबासाहेब को सुहाती नही थी। बाबासाहेब डॉ.अंबेडकर की विद्वता के मुकाबले एक भी मंत्री नेहरू मंत्रिमंडल में दिखाई नही देता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबासाहेब की योग्यता का लोहा मानते थे। आपसी मतभेद होते हुए भी प्रधानमंत्री पं.नेहरू व राष्ट्रपति डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बाबासाहेब का बहुत सम्मान करते थे। भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी अतिथियों का नेहरू बाबासाहेब का परिचय अपने 'मंत्रिमंडल का रत्न' कहकर करवाते थे। नेहरू स्वयं कहते थे कि डॉ.अंबेडकर मेरे मंत्रिमंडल के 'हीरो' है। बाबासाहेब ने स्वयं सिद्ध करके दिखाया कि वे मंत्रिमंडल ही नहीं अपितु पूरे भारत के रत्न **'भारतरत्न'** थे।

बाबासाहेब की दृष्टि में सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता का अर्थ

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार मानवता के इतिहास में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। यह एकत्व की भावना है, किसी विशेष वर्ग से संबंधित होना नहीं, यही राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना का सार कहा जाता है। अम्बेडकर ने पुकारा, तब बहुत से लोग उसमें शामिल नहीं हुए। इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने इस बात की ओर इशारा किया कि अगर क्षेत्रीय दलों ने अपने दल का मत राष्ट्रहित की अपेक्षा श्रेष्ठ माना, तो भारतीयों की स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जायेगी और शायद वह स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। अत: शरीर में खून की आखिरी बूंद होने तक आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सदन में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा कही गई इस बात की सभी राजनेताओं ने जमकर

Scanned by CamScanner

सराहना की।

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में सही राष्ट्रवाद है, 'जाति भावना का परित्याग' क्योंकि जाति भावना गहन सांप्रदायिकता का ही रूप है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब मानव के बीच जाति, नस्ल और रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए, राष्ट्रवाद के संदर्भ में अल्पसंख्यक और बहुमत के विषय में डॉ. अम्बेडकर कहते हैं, अल्पमत द्वारा जब सत्ता में खुद अधिकार मांगे जाते हैं तो वह सांप्रदायिक हो जाता है परन्तु बहुमत के बल पर जब सत्ता पर एकाधिकार जमा लिया जाता है तो उसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। डॉ. अम्बेडकर व्यक्ति कि स्वतंत्रता चाहते थे, संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने प्रस्तावना में भारत के लोग के स्थान पर भारत राष्ट्र लिखने कि मांग की, इस पर अम्बेडकर ने पूछा, हजारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ जाएंगे कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही अच्छा है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि शासक जातियां यह बात जानती हैं कि वर्ग सिद्धान्त, वर्ग हित और वर्ग संघर्ष उनका विनाश कर देगा इसलिए सताये हुये वर्ग का ध्यान बांटने के लिए उसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता का नाम लेकर बहका दिया जाए, उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए जो दूसरे समुदाय या राष्ट्र के प्रति निर्दयता या भय प्रकट करता हो। उन्होंने कहा कि उस समय तक राष्ट्रवाद निरर्थक है जब तक राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान न हो, उन्होंने कहा कि सवर्ण जातियां राष्ट्रवाद के नाम पर पिछड़ी जातियों को धोखा दे सकती हैं।

समाज के जिम्मेदार लोगों से बाबासाहेब की अपील

जन समूह से- पिछले तीस वर्षों से तुम लोगों के राजनैतिक अधिकारों के लिये मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिये उचित प्रावधान करवाये। आज, हम प्रगति कर सकते है। अब यह तुम्हारा कर्त्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक, और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिये तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिये भी।

नेताओं से - यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ। लेकिन अपनी झौपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहां जाओगे? यदि तुम अपने आपको बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी हालत में अपने संगठन को बर्बाद होने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लागों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ।

Scanned by CamScanner

भूमिहीन मजदूरों से– मैं गाँव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिये काफी चिंतित हूँ। मैं उनके लिये ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उनकी दु:ख तकलीफों को नजर अंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है। इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते रहते हैं और वे अपना उत्थान नहीं कर पाते। मैं इसके लिये संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूँगा। लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा।

अपने समर्थंको से – बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धम्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धम्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिये संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको अंधभक्त नहीं बनाना चाहता परन्तु जिन्हें इस महान धम्म की शरण में आने की तमन्ना है वे बौद्ध धम्म अंगीकार कर सकते है, जिससे वे इस धम्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और बौद्धाचरण का अनुसरण करें।

बौद्ध भिक्षुओं से – बौद्ध धम्म महान धम्म है। इस धम्म के संस्थापक तथागत गौत्तम बुद्ध ने इस धम्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाईयों के कारण यह धम्म भारत में दूर–दूर तक गली– कूचों में पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद यह धम्म 1213 ई. में भारत से विलुप्त हो गया जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्कु विलासितापूर्ण एवं आरामतलब जिंदगी जीने के आदी हो गये थे। धम्म प्रचार हेतु स्थान–स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धम्म की पुर्नस्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे–दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में ऐसे बहुत कम भिक्कु दिखाई देते हैं, इसलिये जन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धम्म के प्रसार हेतु आगे आना चाहिये और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिये।

शासकीय कर्मचारियों से – हमारे समाज की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुँच गये हैं परन्तु **इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है।** मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किन्तु मैं देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्को की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, जो अपनी तौंद (पेट) भरने में व्यस्त हैं। मेरा आग्रह है कि जो लोग शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं, उनका कर्त्तव्य है कि वे अपने वेतन का 20वां भाग

Scanned by CamScanner

(5%) स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु दें, तभी समाज प्रगति कर सकेगा अन्यथा केवल चन्द लोगों का ही सुधार होता रहेगा। कोई बालक जब गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो संपूर्ण समाज की आशायें उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिये वरदान साबित हो सकता है।

छात्रों एवं युवाओं से – मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आस-पास के लोगों की सेवा करनी चाहिये। जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सकें। **आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है।** 'आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है, जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिये चिंतित हूँ कि जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता, कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊँ। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, जो इन करोड़ो असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले सकें। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है, तो मैं चैन से मर सकूंगा।' (आगरा,18 मार्च 1956 के भाषण के मुख्य अंश)

बौद्ध धम्म के हिमायती बाबासाहेब

डॉ.अम्बेडकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। 12 मई 1956 को बीबीसी लंदन से वार्ता करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा, मैं बौद्ध धम्म को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि यह एक साथ संयुक्त रूप से तीन सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जो कोई और नहीं करता। अन्य सभी धर्म ईश्वर, आत्मा या मरने के बाद के जीवन की चिंता में लिप्त है। बौद्ध धम्म प्रज्ञा की शिक्षा देता है, यह करूणा की शिक्षा देता है, यह समता की शिक्षा देता है। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने येवला (नासिक) में घोषणा की थी कि **'मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ ये मेरे वश में नही था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नही।'** बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भारत में लुप्तप्राय हो गए बौद्ध धम्म को पुन:स्थापित किया और एक नई धम्म दीक्षा विधि द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दिलाकर धम्म की जड़ें मजबूत की।

डॉ. अम्बेडकर का यह मानना था कि बौद्ध धम्म ने ईसा के जन्म से तीन सौ वर्ष पहले भारत को दुनिया में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। दूर-दूर के देशों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। पूर्वीय देशों पर प्राचीन काल में जो भारतीय संस्कृति की जबरदस्त छाप पड़ी, उसका श्रेय बौद्ध धम्म को है। बौद्ध धम्म की दर्शन के क्षेत्र में यह उल्लेखनीय देन है कि उसने न केवल भारत के बल्कि संसार के इतिहास में पहली बार शील और सदाचार को सही अर्थों में प्रयुक्त किया और इन्हें उचित प्रधानता दी, जिसकी सदा उतनी ही उपयोगिता है जितनी उस समय थी। डॉ.अम्बेडकर का

Scanned by CamScanner

14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर व उनकी पत्नी डॉ.सविता अम्बेडकर ने त्रिशरण व पंचशील को ग्रहण कर भिक्खु चंद्रमणि से बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की।

विश्वास था कि बौद्ध धम्म अपनाने से भारतीयों के बीच जातीय भेदभाव की भावना समाप्त होगी। लोगों में रोटी और बेटी का संबंध बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। डॉ.अम्बेडकर ये भी मानते थे कि बौद्ध धम्म अपनाने से लोगों के मन में व्याप्त हीन भावना समाप्त होगी, वे आत्म सहायता के द्वारा अपना विकास करेंगे। डॉ.अम्बेडकर ये भी कहते थे कि तथागत बुद्ध के कारण ही आज विश्व के अन्य देशों में भारत की पहचान है। आज भी विदेशों से आने वाले भिक्कु व बौद्ध धम्मावलंबी भारत (बुद्ध की भूमि) को नमन कर अपने को गौरवान्वित महसूस करते है। इसका एक ताजा उदाहरण है कि, जुलाई 2017 को वियतनाम के उपप्रधानमंत्री फाम बिन्ह मिन्ह भारत यात्रा पर पहुंचे। उन्होने बौधगया पहुंचकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा व पवित्र बौधिवृक्ष के दर्शन किये। वियतनामी उपप्रधानमंत्री ने उद्धगार प्रकट करते हुए कहा कि **मैं बुद्ध भूमि को नमन कर अभिभूत हूँ, तथागत की भूमि के दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया।**

डॉ. अम्बेडकर का यह मानना था कि बहुजन समाज के लोग पहले बौद्ध धम्म के अनुयायी थे। इसलिए बौद्ध धम्म को अपनाना धर्म परिवर्तन न होकर घर वापसी जैसा है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये डॉ. अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बौद्ध धम्म अपनाकर भारत पुन: ही विश्व को समता, स्वतंत्रता व बंधुता का संदेश दे सकता है और दुनिया को नई राह दिखा सकता है।

भारतीय बौद्ध महासभा

भारतीय बौद्ध महासभा **(The Buddhist Society of India)** भारत का राष्ट्रीय बौद्ध संगठन है। बाबासाहेब ने इसकी स्थापना 4 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र

Scanned by CamScanner

में की थी। 8 मई 1955 को बाबासाहेब ने नरे पार्क बॉम्बे में आयोजित एक समारोह में बौद्ध धम्म के प्रचार-प्रसार के लिए इस संगठन की स्थापना की औपचारिक घोषणा की। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे (1) भारत से लुप्त हो चुके बौद्ध धम्म का पुनर्जागरण एवं इसके प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना। (2) उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना व अछूत वर्ग के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करना (3) बौद्ध विहारो की स्थापना करना (4) धम्म दीक्षा देकर धम्म के प्रचार हेतु नये भिक्कु तैयार करना (5) बौद्ध साहित्य के प्रकाशन हेतु प्रिंटिग प्रेस व मुद्रालयों की स्थापना करना (6) समता, स्वतंत्रता व मैत्री भाव को बढ़ावा देना। (7) विचार गोष्ठियों व धम्म प्रचारक कार्यशालाओं का आयोजन (8) लोक कल्याणार्थ अनाथालय, चिकित्सा केन्द्र व राहत केंद्रों की स्थापना करना आदि। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब के परिनिर्वाण के पश्चात बाबा साहेब के पुत्र यसवंतराव अंबेडकर (भैयाजी साहेब) इस संस्था के अध्यक्ष बने। 17 सितम्बर 1977 में यसवंतराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया। उनके पश्चात बाबासाहेब की पुत्रवधु मीराताई यसवंतराव अंबेडकर इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई गई। वर्तमान में मीराताई अंबेडकर इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय बौद्ध महासभा की पूरे भारत भर में शाखाएं स्थापित है।

करूणामयी बाबासाहेब

बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर पर तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र व उनकी शिक्षाओं का गहरा असर था। तथागत बुद्ध ने प्राणीमात्र के प्रति दया, प्रेम, अहिंसा व करूणा का संदेश दिया है। करूणा के सागर बाबासाहेब दूसरे लोगों की पीड़ा को देखकर पिघल जाने वाले व्यक्ति थे। इसी का परिणाम है कि उन्होंने जीवन पर्यन्त कष्ट झेलकर देश के करोड़ो अस्पृश्यों के नारकीय जीवन को सुखमय बना दिया। **उदाहरणार्थ :-** एक दिन जब बाबासाहेब को उनके चौकीदार सुदामा की बीमारी का पता चला तो वे बड़े द्रवित हुए। 3 दिसम्बर 1956 की सुबह बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। बाबासाहेब अपने निजी सहयोगी नानकचंद रत्तू को साथ लेकर छड़ी के सहारे सुबह-सुबह कड़ाके की ठंड में ही सुदामा से मिलने निकल पड़े। सुदामा बाबासाहेब के बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। बाबासाहेब नानकचंद रत्तू के साथ सुदामा के घर पहुंचे तो सुदामा की खुशी का ठिकाना ना रहा। बाबासाहेब को देखकर सुदामा की आंखो से आंसू छलक आए। बाबासाहेब ने सुदामा को गले लगाकर ढ़ांढ़स बंधाया व दवा लेकर जल्दी ठीक होने को कहा। बाबासाहेब ने घर जाकर सुदामा के लिए दवाईयां भिजवाई। ऐसे करूणामयी थे हमारे बाबासाहेब।

बाबासाहेब का महापरिनिर्वाण

बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर 5 दिसम्बर की रात अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 'बुद्ध

Scanned by CamScanner

और उनका धम्म' की भूमिका पूर्ण लिखकर सो गए। 6 दिसम्बर 1956 को सवेरे छः बजे नौकर चाय लेकर गया तो बाबासाहेब निद्रावस्था में ही चल बसे थे। रात को किस समय उनका देहान्त हुआ, यह कोई न जान सका। वह चुपचाप ही चल दिए। उनकी मृत्यु के समाचार से देश की राजधानी दिल्ली और देश-विदेश में शोक छा गया।

उनके आवास 26 अलीपुर रोड़ पहुँचकर तत्कालीन नेताओं ने उनको मार्मिक श्रद्धांजलियां समर्पित कीं। प्रधानमंत्री जवारहलाल नेहरू ने कहा-डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज की दमनात्मक नीति के विरूद्ध किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। डॉ.अम्बेडकर का शव खास विमान से दिल्ली से मुम्बई ले जाया गया। लोगों के ह्रदय में डॉ. अम्बेडकर के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम की भावना थी, वह कितनी अधिक गहरी थी यह उनकी मृत्यु से ही मालूम हुआ। बाबासाहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग इतने अधिक उत्सुक थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी, कि बंबई के माहिम और कुर्ला से रानी बाग तक के क्षेत्र की जनता ने बिना सोये ही सारी रात बिता दी। बाबासाहेब का शव लेकर खास विमान रात को दो बजे पहुंचा। अधिकांश लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे।

फोटो : 6 दिसम्बर 1956 को बाबासाहेब का परिनिर्वाण होने पर उनकी पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते उनके परिजन व अनुयायी।

Dr. Ambedkar passed away in has sleep on December 6, 1956 at his residence at Delhi. Behind Mrs. Savita Ambedkar are M/s. Shankarao, Narayan Rao Kajrolkar, U.N. Dhebar- the then president of Indian National Congress.

फूल मालाओं से अच्छी तरह ढका हुआ शव दर्शन के लिए भवन के अहाते में ऊंचे स्थान पर रखा गया। बौद्ध भिक्षु मन्त्रोचार कर रहे थे। जैसे- जैसे दिन चढ़ता गया दर्शनार्थियों की भीड़ भी बढ़ती गई। राजगृह पहुंचने के लिए प्रयत्नशील लोगों की इतनी अपार भीड़ हो गई कि व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस को भी बीच-बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। 7 दिसम्बर को दोपहर के दो बजे बाबासाहेब की

Scanned by CamScanner

महापरिनिर्वाण यात्रा राजगृह से शुरू हुई। इस महायात्रा में लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए थे, सर्वत्र शोकग्रस्त लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। समस्त मार्ग पर दोनों ओर जनता खड़ी थी। पांच मील लम्बी महायात्रा साढे पांच बजे शिवाजी पार्क की चौपाटी पर पंहुची। बौद्ध भिक्षुओं ने अंत्य-विधि पूरी की। बाबासाहेब का शव चंदन की चिता पर रखा गया। बाबासाहेब के एकमात्र पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर ने अग्नि संस्कार किया। सशस्त्र पुलिस दल ने आकाश में खाली गोलियां दागकर परिनिर्वाण प्राप्त नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। चिता जल उठी और बाबासाहेब की पार्थिव देह अनंत में विलीन हो गयी। श्मशान सभा में महाराष्ट्र दलित फेडरेशन के अध्यक्ष दादासाहेब गायकवाड़ बोले-16 दिसम्बर को लाखों लोगो को बौद्ध धम्म की दीक्षा देने के लिए बाबासाहेब 14 दिसम्बर को यहां आने वाले थे। दुर्भाग्य से वह आज इस रूप में यहां आये हैं। बाबा साहेब जो काम करने वाले थे, वह अब हम स्वयं करें। इसके बाद भिक्कु डॉ. भदन्त आनन्द कौसल्यान ने त्रिशरण, पंचशील का उच्चारण करवाकर लगभग तीन लाख दलितों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। डॉ. अम्बेडकर का जीवन महान था और उनकी मृत्यु भी महान थी।

डॉ. अम्बेडकर संसार के गिने-चुने महान् विद्वानों, चिंतकों, कानूनविदों, राजनीतिज्ञों, आलोचकों और दार्शनिकों में से एक थे। वह लेखनी और वाणी दोनों के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें उनकी धधकती लेखनी के चमत्कार की गवाही है। इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही डॉ. अम्बेडकर की चिंतन शक्ति, प्रगाढ़ विद्वता और अपार ज्ञान भंडार का अनुभव होता है कि वह अपने समय के सबसे अधिक प्रखर मेधाशिक्त के महामानव थे। वह उच्च कोटि के लेखक थे और जिस विषय पर अपनी लेखनी उठाते थे उसे पूर्ण विशुद्ध व्याख्या के साथ प्रस्तुत करते थे।

डॉ. अम्बेडकर का स्वयं का जीवन मनुवाद को करारा तमाचा था। उन्होंने साबित किया कि शूद्रों को पहले ही पढ़ने का अधिकार दिया गया होता तो शायद भारत को गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने विद्या अध्ययन व वेद पढ़ने पर कानों में शीशा भर देने वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था के परखच्चे उड़ा दिए तथा इंसान में भेद करने वाली विचारधारा की जड़ों को उखाड़कर उनमें मट्ठा डाल दिया। डॉ.अंबेडकर केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता कहे जा सकते हैं। जो काम मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में दास प्रथा निर्मूलन के लिए किया तथा जैसे प्रयास बूकर टी वाशिंगटन के रहे, वैसा ही कार्य बाबासाहेब ने भारत के अछूतों के लिए किया। यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का ही सबूत है कि बाबासाहेब का जन्मदिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है। आइए, हम प्रण करें कि बाबासाहेब की देन भारत के संविधान, उसमें प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा हमारे लोकतंत्र को हम अक्षुण्ण रखेंगे और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हमारे गरीब भाई-बहनों को अपने साथ लेंगे। यह भी सकंल्प लें कि दलित-आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ों तथा महिलाओं सहित

Scanned by CamScanner

किसी भी मानव मात्र पर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे और न्याय तथा समानता के लिए कदम-कदम पर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

भारत में भले ही डॉ. अम्बेडकर को वह सम्मान न मिल सका हो जिसके वह हकदार थे लेकिन विश्व ने इस भारतीय विभूति को हमेशा मान-सम्मान दिया। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर विश्व के दिग्गजों की यह भावना सामने भी आई। महारानी एलिजाबेथ ने डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर कहा कि दु:ख की बात है कि महामानव डॉ. अम्बेडकर का जन्म भारत में हुआ, यदि इनका जन्म किसी अन्य देश में हुआ होता तो इनको सर्वमान्य विश्वविभूति का सम्मान मिलता। तो वहीं लंदन टाइम्स ने डॉ. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर लिखा भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों के राजनैतिक और सामाजिक इतिहास में डॉ. अम्बेडकर का नाम प्रमुखता से जगमगायेगा। उनका धीर और दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर सदा झलकता था। उन्होंने अपनी बुद्धिमता का ढिंढ़ोरा नहीं पीटा। इसका कारण यह था कि उन्हें आडंबर करना नहीं आता था।

'भारत रत्न' बाबासाहेब

बाबासाहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक सुधार की विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनकी सामाजिक व राजनीतिक सोच को पूरे विश्व के राजनीतिक हल्के का सम्मान हासिल हुआ है। बाबासाहेब भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उनकी छवि राष्ट्र नेता व आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में स्थापित है। बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर को 1990 में मरणोपरांत वी.पी.सिंह सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने बाबासाहेब को उनकी मौत के 24 वर्ष बाद यह सम्मान दिया, जबकि ये सम्मान उन्हें उनके जीवनकाल में ही मिल जाना चाहिए था। जिसके वे बहुत पहले हकदार थे। बाबासाहेब को 'भारत रत्न' सम्मान उनके करोड़ो अनुयायियों, बसपा संस्थापक मा.काशीराम साहेब व उनकी पार्टी से जुड़े तमाम लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के उपरांत दिया गया। आखिर बाबासाहेब को 'भारत रत्न' देने में भारत सरकार ने 24 वर्ष क्यों लगाए? इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि सता के केन्द्र में लंबे समय से बैठी काग्रेंस व भाजपा सरकार नही चाहती थी कि डॉ.आंबेडकर को 'भारत रत्न' सम्मान से नवाजा जाए। इससे इन दोनो राजनैतिक पार्टियों की डॉ.अंबेडकर व बहुजन समाज के प्रति उनकी कलुषित मानसिकता जाहिर होती है इन दोनो पार्टियों ने हमेशा से ही दलित, पिछड़ों को अपना वोट बैंक माना है। देश की सताधारी पार्टिया समय-समय पर अपने नेताओं को 'भारत रत्न' सम्मान देती आ रही है, लेकिन वर्तमान में इस सम्मान के वास्तविक हकदार बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहेब को भी इससे दूर ही रखा गया है।

Scanned by CamScanner

बाबासाहेब का अंतिम संदेश

"मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, वह बेहद मुसिबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसिबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्त्तव्य है कि यह कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहें, बेशक कितनी भी रूकावटें क्यों न आये। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न बढ़ा सकें, तो इसे यहीं छोड़ दे, पर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने दें। आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश हैं।"

नित्य नये संगठन बनाने वालो को बाबासाहेब का संदेश : एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह कि अपना संगठन तोड़कर केवल दो चार लोग मिलकर नया संगठन न बनाएं, ऐसा करना अपना सर्वनाश करने जैसा होगा। तुमको भली-भांति विदित ही है कि, अपने समाज में हम सब को संगठित रहना चाहिये। स्वयं का घर उजाड़कर दूसरे के महलों में जाने का ख्याल मूर्खता है। अपनी कुटिया ही स्वच्छ रखो, संगठित रहो। (मनमाड, 16 जनवरी, 1949)

मुक्ति का मार्ग : तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्म शास्त्र व मंदिर नही हैं, बल्कि तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार तथा उच्च आचरण व नैतिकता में निहित है। तीर्थयात्रा, व्रत, पूजा-पाठ व कर्मकांडों में कीमती समय बर्बाद मत करों। धर्मग्रंथों का अखण्ड पाठ करने, यज्ञों में आहुति देने व मन्दिरों में माथा टेकने से तुम्हारी दासता दूर नही होगी। तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला गरीबी से मुक्ति नही दिलाएगी। काल्पनिक देवी-देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से तुम्हारी भूखमरी, दरिद्रता व गुलामी दूर नही होगी। अपने पुरखों की तरह तुम भी चिथड़े मत लपेटो, दड़बे जैसे घरों में मत रहो और इलाज के अभाव में तड़फ-तड़फ कर जान मत गंवाओ। भाग्य व भगवान के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद ही करना है। धर्म मनुष्य के लिए है मनुष्य धर्म के लिए नही और जो धर्म तुम्हें इंसान नही समझता वह धर्म नहीं अधर्म का बोझ है। जहाँ ऊँच और नीच की व्यवस्था है। वह धर्म नही, गुलाम बनाये रखने की साजिश है।

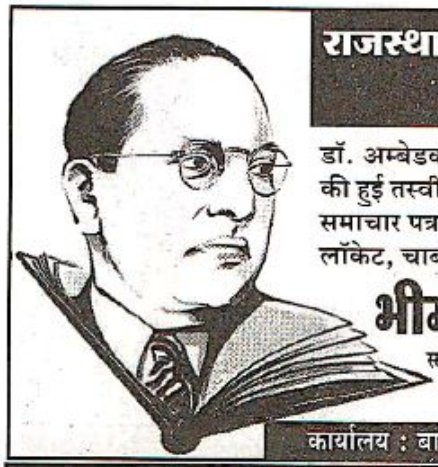

राजस्थान में आम्बेडकर जगत की सम्पूर्ण प्रचार सामग्री का एकमात्र विश्वसनीय केन्द्र

डॉ. अम्बेडकर, गौतम बुद्ध एवं सभी बहुजन महापुरूषों की लेमीनेशन व शीशे में फ्रेम की हुई तस्वीरें, कैलेण्डर, टी-शर्ट डॉ.अम्बेडकर जीवनी, भारतीय संविधान, भीम प्रवाह समाचार पत्र, बहुजन साहित्य, तिरंगा झण्डा, नीले व पंचशील के झण्डे दुपट्टे, पैन, लॉकेट, चाबी, झल्ले एवं समस्त प्रकार की मिशनरी प्रचार सामग्री हेतु सम्पर्क करें।

भीम प्रवाह पब्लिकेशन

सम्पर्क : बीरबल सिंह बरवड़ Mob.: 78911-89451
मोहिनी बरवड़ Mob.: 78912-01820

Birbal singh Barwar
SBI, Bank, A/C : 61056179352
IFSEC CODE : SBIN0031292

कार्यालय : बाबा रामदेव मन्दिर के पास, डॉ.अम्बेडकर नगर, फतेहपुर रोड़, सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

संविधान निर्माता
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थल

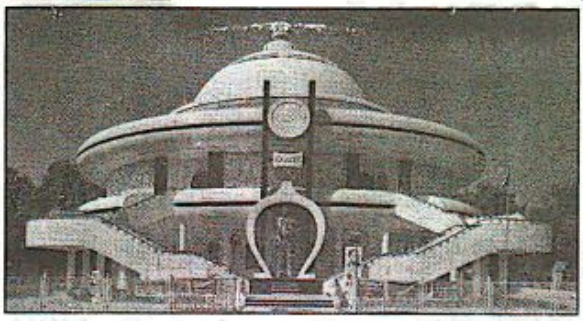

भीम जन्मभूमि, महू

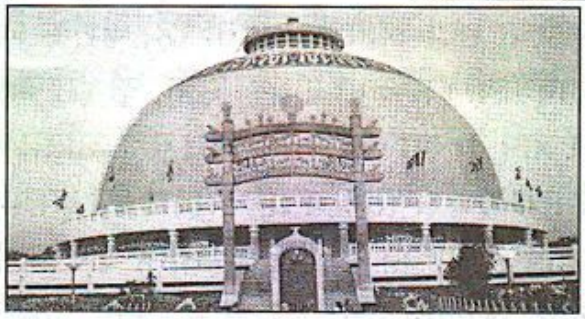

दीक्षा भूमि, नागपुर

संकल्प भूमि, बड़ौदा

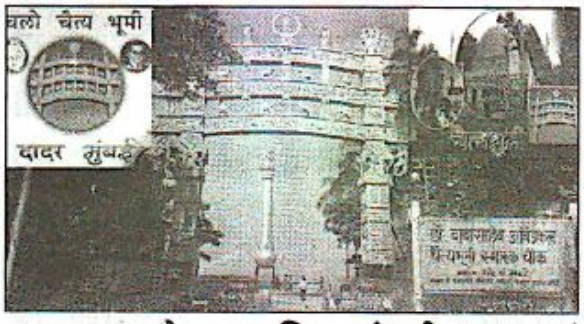

चैत्य भूमि, मुंबई

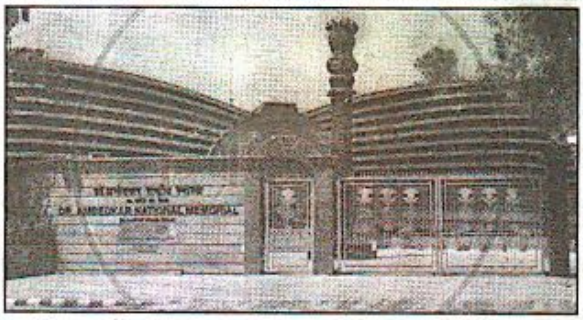

डॉ.अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली

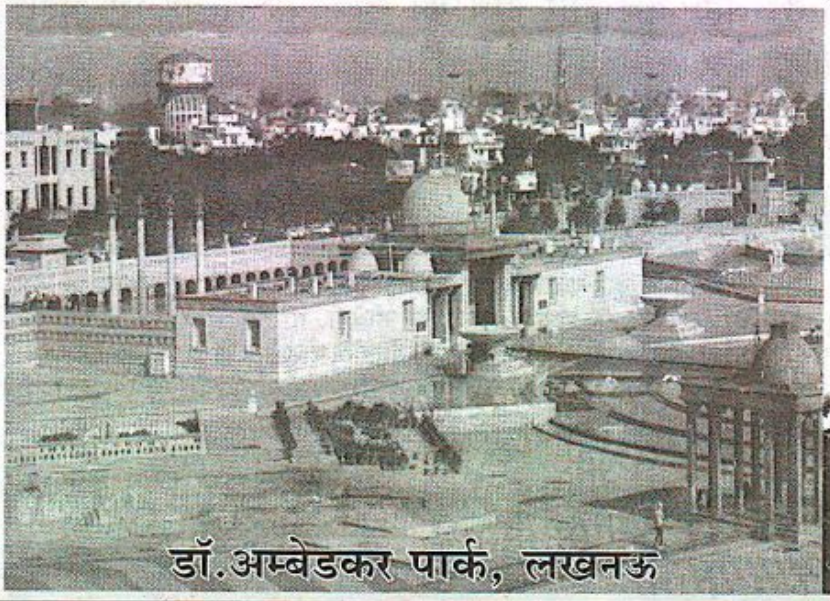

डॉ.अम्बेडकर पार्क, लखनऊ

संसद भवन में स्थापित प्रतिमा

Scanned by CamScanner

डॉ. अम्बेडकर जन्म स्थली 'महू'

भीम जन्म भूमि 'महू' के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का जन्म स्थली स्मारक है। बाबासाहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू स्थित सैन्य छावनी की एक सैनिक बैरक में हुआ था। मध्य प्रदेश के डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) में मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया है जिसे भीम जन्म भूमि का नाम दिया गया है। स्मारक का उद्घाटन 14 अप्रैल 1991 को बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की 100 वीं जयंती के मौके पर किया गया। 14 अप्रैल 2008 को बाबा साहेब की 117वीं जयंती के मौके पर इस स्मारक को लोकार्पित किया गया। बाबा साहेब के लाखों अनुयायी हर साल 'महू' पहुंचते है। भारत सरकार द्वारा पंचतीर्थ के रूप में विकसित किये जा रहे डॉ. अम्बेडकर के जीवन से संबंधित पांच स्थलों में से यह एक है।

दीक्षा भूमि नागपुर

दीक्षा भूमि नागपुर बौद्ध धम्मावलंबियों का एक प्रमुख केन्द्र है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने नागपुर के जिस स्थान पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की उसे 'दीक्षा भूमि' के नाम से जाना जाता है। सरकार के द्वारा दीक्षा भूमि को एक भव्य स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों लोग नागपुर पहुंचकर दीक्षा भूमि में बाबासाहेब का स्मरण करते है। हर साल 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में एक भव्य आयोजन होता है। इस आयोजन में हजारों लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर तथागत बुद्ध के समता, करूणा व मैत्री भाव से सराबोर बौद्ध धम्म की जड़े मजबूत करने का संकल्प लेते है।

चैत्य भूमि मुम्बई

भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब के समाधी स्थल को 'चैत्य भूमि' के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी पार्थिव देह को एक खास विमान से मुंबई ले जाया गया था। मुंबई के दादर नामक स्थान पर बौद्ध रिती से उनका अंतिम संस्कार हुआ। 'चैत्य भूमि' बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए खास आस्था का केन्द्र है। प्रतिवर्ष 6 दिसम्बर को लाखो लोग मुंबई पहुंचकर अपने मसीहा को याद कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते है। 'चैत्य भूमि' को सरकार द्वारा एक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है। जिसमें बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा, उनके जीवन से जुड़े विविध चित्र, अशोक स्तंभ, बुद्ध प्रतिमा सहित अनेक वस्तुओं को स्मृति स्वरूप संजोया गया है।

Scanned by CamScanner

डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक एवं संग्रहालय
26 अलीपुर रोड़, नई दिल्ली

26 अलीपुर रोड़, नई दिल्ली जहां डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक एवं सग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसकी अपनी महता भी है। भारत के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद 1 नवंबर 1951 से अपने परिनिर्वाण 6 दिसम्बर 1956 तक बाबा साहेब इसी निवास पर रहे। यह भवन मूलरूप से सिरोही (राजस्थान) के महाराजा की संपत्ति था। बाबा साहेब द्वारा 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के उपरांत उन्होंने बाबासाहेब को इस आवास में रहने हेतु आमंत्रित किया था। इसके पश्चात इसका स्वामित्व अंतरिम होता रहा।

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के महान व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सामाजिक योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रयासों से केन्द्र सरकार ने इस स्थान को अधिगृहित कर इसे राष्ट्रीय स्मारक का रूप दिया हैं। इस स्मारक में बाबा साहेब के संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याणर्थ संचालित योजनाओं के संबंध में आगंतुको को जानकारी मिले, स्मारक में ऐसी व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 21 मार्च 2016 को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला रखी गई थी। इस इमारत को संविधान की पुस्तक के आकार का रूप दिया गया है। इस इमारत में एक प्रदर्शनी स्थल, स्मारक, बाबा साहेब के द्वारा उनके जीवनकाल में काम में ली गई ऑरिजनल वस्तुएँ, बुद्ध की प्रतिमा के साथ ध्यान केन्द्र और डॉ. अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा स्थापित है। इमारत के प्रवेश द्वारा पर 11 मीटर ऊचा अशोक स्तंभ स्थापित है पीछे की तरफ ध्यान केन्द्र बना हुआ है। यह इमारत संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन और उनके योगदान को दर्शाती है। प्रतिदिन देशभर से हजारो लोग इस स्मारक का अवलोकन करने पहुंचते है।

फोटो : भारतरत्न, संविधान निर्माता, बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर के हस्तलिखित पत्र, हिन्दी व अग्रेंजी में हस्ताक्षर , उनके द्धारा प्रकाशित समाचार पत्र मूकनायक व बहिष्कृत भारत तथा बाबासाहेब के सम्मान में भारत सरकार द्धारा जारी डाक टिकट।

Scanned by CamScanner

भारत राष्ट्र को बाबासाहेब की महान देन

(1) बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर के अथक प्रयासों से 01 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

(2) डॉ.अम्बेडकर श्रमिक कल्याणकारी कानून व कर्मचारी भविष्य निधि के भी जनक थे।

(3) अप्रैल 1944 में बाबा साहेब द्वारा कामगार मजदूरों के लिए सवैतनिक बिल पेश। ट्रेड यूनियनों को मान्यता।

(4) रोजगार कार्यालय की स्थापना।

(5) श्रमिक हितार्थ काम का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया।

(6) महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश।

(7) स्वास्थ्य बीमा योजना व श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना।

(8) नवम्बर 1945 में स्थापित हीराकुण्ड बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना व सुरजमल घाटी परियोजनाओं के जनक भी बाबासाहेब ही थे।

(9) बिजली की आवश्यकता पूर्ति हेतु ग्रिड सिस्टम एवं केन्द्रीय सिंचाई योजना। तकनीकी प्रशिक्षण योजना।

(10) वयस्क मताधिकार (प्रत्येक 18 वर्षीय भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार)

(11) वित्त आयोग का गठन। यह 1951 में अस्तित्त्व में आया।

(12) बाबासाहेब माता–पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्री व दत्तक पुत्र को भी बराबर का अधिकार देने के पक्षधर थे। बाद में यह कानून 2005 में लागू हुआ।

(13) अन्तर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाने में विशेष योगदान।

(14) भारतीय सांख्यिकी कानून व सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड का गठन।

(15) भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि।

(16) 14 अक्टूम्बर 1956 को बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म अंगिकार करके भारत से लुप्तप्राय हो चुके बौद्ध धम्म के पुर्नजागरण में अहम् योगदान दिया।

Scanned by CamScanner

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा धम्म दीक्षा के दौरान प्रदत्त 22 प्रतिज्ञाएं

(नागपुर, अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956)

1. मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा।
2. मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा।
3. मैं गौरी-गणपति इत्यादि हिन्दू धर्म के किसी भी देवी-देवता को नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा।
4. मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा।
5. मैं तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को झूठ और पागलपन का प्रचार समझता हूँ।
6. मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और न ही पिण्डदान दूंगा।
7. मैं कोई भी क्रिया-कर्म ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा।
8. मैं बौद्ध धम्म के विरूद्ध, किसी बात को नहीं मानूंगा।
9. मैं सभी मनुष्य एक है, इस सिद्धान्त को मानूंगा।
10. मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा।

सत्यमेव जयते

11. मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा।
12. मैं चोरी नहीं करूंगा।
13. मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताई गई दस पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा।
14. मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा।
15. मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
16. मैं व्यभिचार नहीं करूंगा।
17. मैं शराब आदि नशीले द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा।

18. मैं अपने जीवन को बौद्ध धम्म के तीन तत्वों अर्थात् ज्ञान, शील और करूणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा।
19. मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिन्दू धर्म को पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बौद्ध धम्म स्वीकार करता हूँ।

20. मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है बौद्ध धम्म ही सद्धम्म है।
21. मैं यह जानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है।
22. मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा।

Scanned by CamScanner

बाबासाहेब के अनमोल विचार

- मेरे नाम की जय–जयकार करने से अच्छा है, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें।
- मैं रात–रातभर इसलिये जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा हैं।
- मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हैं।
- जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिये बेमानी हैं।
- हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं।
- कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए।
- मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे–कुचले भाईयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ।
- जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षडयंत्र है।
- एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है।
- मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है, उससे मापता हूँ।
- जीवन लम्बा होने की बजाय महान होना चाहिए।
- बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।
- जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती।
- राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है, जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अन्तर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाये।
- धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए। यहां नियमों की बात नहीं हो सकती।
- शिक्षा जितनी पुरूषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए।
- महात्मा आये और चले गये परन्तु अछूत, अछूत ही बने हुए हैं।
- शिक्षित बनो! संगठित रहो!! हक अधिकार के लिए संघर्ष करो!!!

Scanned by CamScanner

बहुजन/मूलनिवासी समाज के उत्सव एवं विशेष आयोजन

भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस (1 जनवरी)
सावित्री बाई फुले जयंती (3 जनवरी)
गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
रमाबाई अंबेडकर जयंती (7 फरवरी)
छत्रपति शिवाजी जयंती (19 फरवरी)
बोधिसत्व रविदास जयंती (माघ पूर्णिमा)
गाडगे बाबा जयंती (23 फरवरी)
मान्यवर कांशीराम जयंती (15 मार्च)
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जयंती (11 अप्रैल)
सम्राट अशोक जयंती (चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी)
बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल)
स्वामी अछूतानंद जयंती (6 मई)
बुद्ध पूर्णिमा (वैशाख पूर्णिमा)
संत कबीर जयंती (ज्येष्ठ पूर्णिमा)
शाहू जी महाराज जयंती (26 जून)
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
नारायण गुरु जयंती (26 अगस्त)
ललई सिंह यादव जयंती (1 सितम्बर)
पैरियार रामासामी जयंती (17 सितम्बर)
अशोक विजयादशमी (आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10 वीं)
डॉ.अम्बेडकर धम्मदीक्षा दिवस (14 अक्टूबर)
रावण जयंती (कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी)
दीपदानोत्सव (कार्तिक माह की अमावस्या)
विद्यार्थी दिवस, डॉ. अंबेडकर स्कूल दाखिला (6 नवम्बर)
बिरसा मुण्डा जयंती (15 नवम्बर)
संविधान दिवस (26 नवम्बर)
क्रांतिवीर मातादीन भंगी जयंती (29 नवम्बर)
डॉ.अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस (6 दिसम्बर)
गुरु घासीदास जयंती (18 दिसम्बर)
मनुस्मृति दहन दिवस (25 दिसम्बर)

Scanned by CamScanner

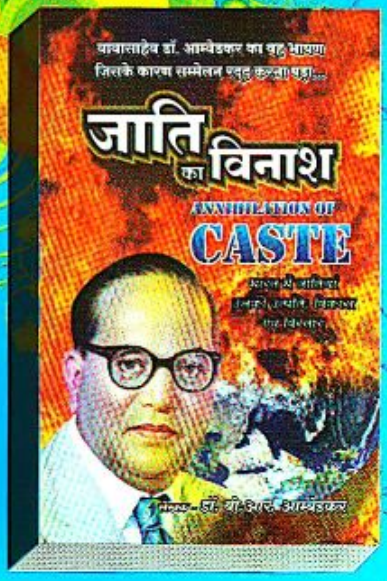

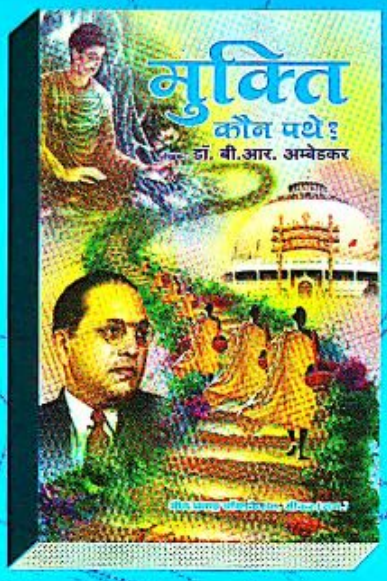

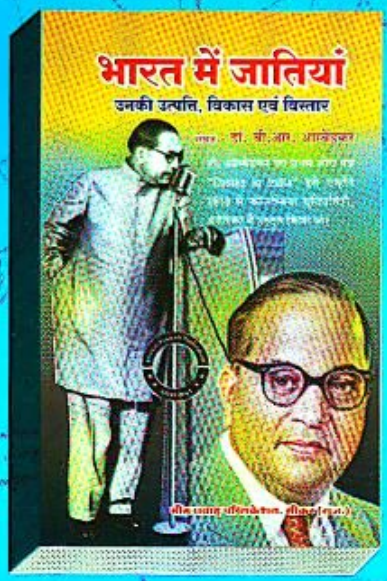

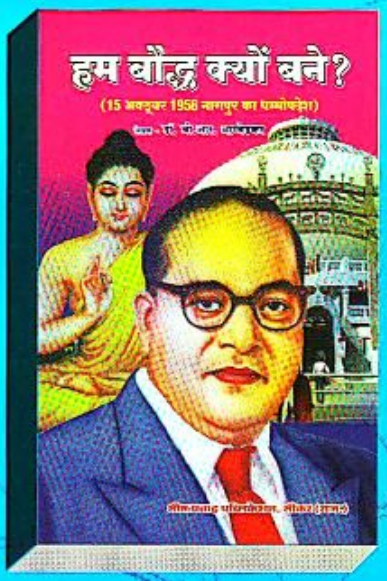

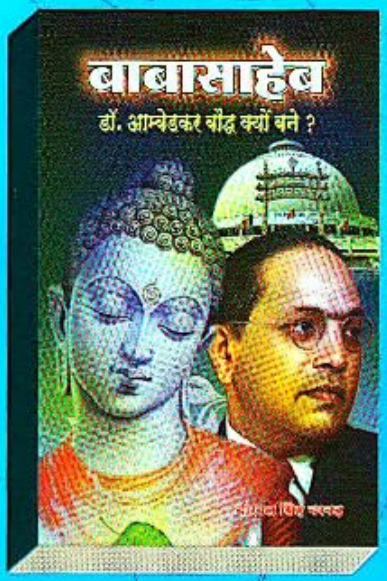

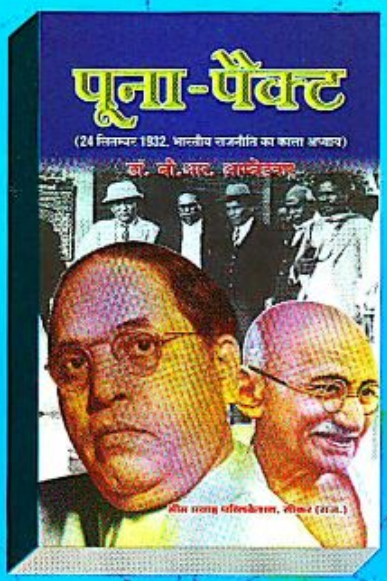

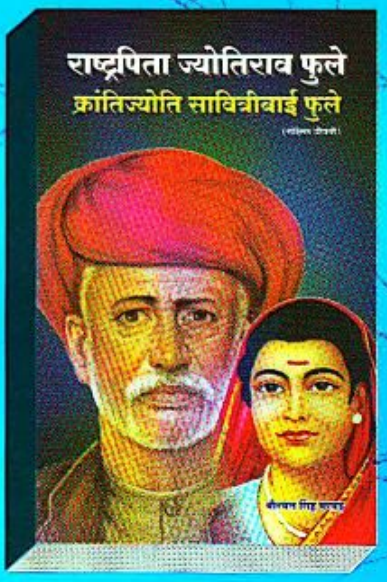

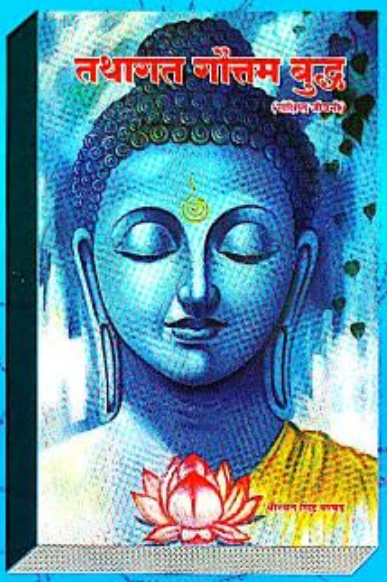

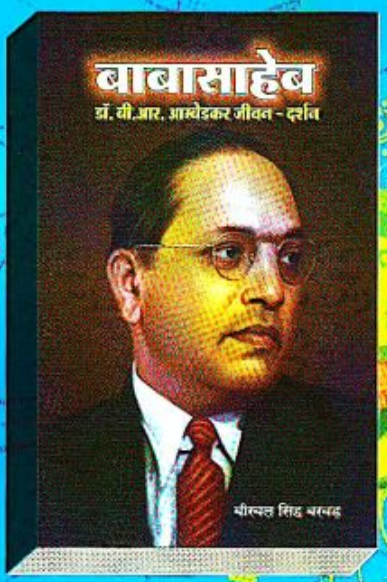

भीम प्रवाह पब्लिकेशन

कार्यालय : डॉ. अम्बेडकर नगर, फतेहपुर रोड़, सीकर (राज.)

मो. : 7891189451, 7891201820 ई-मेल : barwar.skr@gmail.com

₹ 40/-

Scanned by CamScanner